Unit-Ist

वैदिक काल मे शिक्षा
[Education in Vedic period]

वैदिक काल := 2500 से 500 ई० पू० तक का काल।

शिक्षा का अर्थ := ज्ञान, विद्या, विनय व अनुशासन को शिक्षा।

वैदिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्ष [features]

* शिक्षा का प्रशासन एव वित - 1. राजय के नियन्त्रण से मुक्त
  2- निशुल्क शिक्षा
  3. आय के स्रोत - दान, भिक्षा, गुरू दक्षिणा।

* शिक्षा की संरचना व संगठन - 1. प्राथमिक शिक्षा स्तर - विद्यारंभ संस्कार
  2. उच्च शिक्षा स्तर - उपनयन संस्कार

विद्यारम्भ संस्कार - 5 वर्ष की आयु पर, परिवार के कुल पुरोहित द्वारा घर बच्चे को स्नान कराकर नये कपडे पहना कर नया वस्त्र बिछाकर उस पर चावल बिछाकर वेद मन्त्रों द्वारा चावलों से वर्णमाला के अक्षर बनवाये जाते थे। फिर पुरोहित के आर्शीवाद के बाद उसकी नियमित शिक्षा शुरू।

उपनयन संस्कार - [समीप ले जाना] गुरु के द्वारा सर्वप्रथम बच्चो को घर के वस्त्र उतार कर ब्रह्मचारी वस्त्र पहनाए जाते थे तथा उसे मेखला धारण कराई जाती थी तथा हाथ में समिधा दी जाती थी। फिर उससे गुरू कुछ प्रश्न करता था।

* शिक्षा के उद्देश्य एंव आदर्श
  1- स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्द्धन -
  2- ज्ञान का विकास -
  3- सामजिक एंव राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एंव पालन -
  4- संस्कृति का संरक्षण एंव विकास -
  5- नैतिक एंव चारित्रिक विकास -
  6- जीविकोपार्जन एंव कला-कौशल की शिक्षा -
  7- आध्यात्मिक उन्नति -

* शिक्षा की पाठ्यचर्या :- 1. प्राथमिक व उच्च शिक्षा के आधार पर
  1- प्रारम्भिक शिक्षा की पाठ्यचर्या-

BULANDSHAHR

2- उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या

१. प्रकृति के आधार वै० कालीन शिक्षा

1- अपरा (भौतिक) पाठ्यचर्या - अंकशास्त्र, कृषि, पशुपालन, कला (संगीत, नृत्य) कताई, बुनाई, सर्प विद्या, तर्क शास्त्र, ज्योतिवि०

2- परा (आध्यात्मिक) पाठ्यचर्या - वैदिक साहित्य, ईश्वर भक्ति, सन्ध्यावन्दन व यज्ञादि क्रियाओं का प्रशिक्षण

* शिक्षण विधियाँ

1- अनुकरण, आवृत्ति एवं कण्ठस्थ विधि -
2- व्याख्या एवं दृष्टांत विधि -
3- कथन प्रदर्शन अभ्यास विधि -
4- तर्क विधि
5- कहानी विधि
6- प्रश्नोत्तर, वाद विवाद
7- श्रवण, मनन, निदिध्यासन

BULANDSHAHR ... TECHNOLOGY

* अनुशासन

गाय न मारना, झूठ न बोलना, चुगली न करना, नशीली पदार्थों का सेवन नहीं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, क्रोध, मोह, लोभ से दूर, "गुरूओं के आदेश का पालन व नियमों का पालन ही अनुशासन होता"

* शिक्षक (गुरू) शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्रादि की व्यवस्था करते थे। नित्य पूजा एवं हवन, व्यायाम, तथा अध्ययन। शाम से पहले भोजन,

* शिक्षार्थी: (शिष्य):- गुरू गृह की व्यवस्था, गुरूओं के जागने से पहले उठना, रात्रि में गुरू सेवा तत्पश्चात विश्राम।

" गुरू व शिष्य के बीच मधुर सम्बन्ध थे। शिष्यों को पुत्रवत मानते थे "

* शिक्षण संस्थाऐं — गुरुकुल, ऋषिआश्रम, परिषद, सम्मेलन, परिव्राजाचार्य,

* शिक्षा के अन्य पक्ष — जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक नैतिक शिक्षा

* मुख्य शिक्षा केन्द्र — तक्षशिला, केकय, मिथिला, प्रयाग, काशी, काँची

* वैदिक शिक्षा प्रणाली (गुण) निशुल्क शिक्षा, शिक्षा का व्यापक अर्थ, व्यापक उद्देश्य, व्यापक पाठ्यचर्या, विशिष्टीकरण, उत्तम शिक्षण विधियों का विकास।

* " " दोष :- रटने पर बल, जन शिक्षा अभाव, स्त्री शिक्षा का अभाव, कठोर-अनुशासन, अव्यवस्थित पाठ्यचर्या, धार्मिक नैतिक शिक्षा पर बल।

बौद्ध काल में शिक्षा
[Education in Buddhist period]

बौद्ध काल := 500 ई.पू. से 1200 ई. तक

शिक्षा का अर्थ:= मठों व विहारों में चलने वाली शिक्षा। शिक्षा ज्ञान का पर्याय न होकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया।

बौद्ध शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण [Characteristics]

* शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त:=
  1. शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियन्त्रण
  2. शासन का संरक्षण प्राप्त-
  3. प्रा. शिक्षा निशुल्क, उच्च शिक्षा सशुल्क।

* शिक्षा की संरचना एवं संगठन:=
  1- प्राथमिक शिक्षा- 6 से 12 वर्ष तक चलती
  2- उच्च शिक्षा- 13 से 20-25 " "
  3. भिक्षुशिक्षा — उपसम्पदा संस्कार के बाद [केवल 8 वर्ष तक अवधि के बाद]

* शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श:=

1- ज्ञान का विकास = दुःखों का कारण व निवारण का ज्ञान
2- सामाजिक आचरण की शिक्षा = मनुष्य के मनुष्य के प्रति कर्तव्य
3- मानव संस्कृति का संरक्षण व विकास = अन्य धर्मों, दर्शनों, संस्कृतियों का अध्ययन
4- कला कौशल व व्यवसायों की शिक्षा = कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, कला-कौशल
5- चरित्र निर्माण = 10 नियमों का पालन। सादा जीवन व विनय पूर्ण व्यवहार
6- बौद्ध धर्म की शिक्षा = 4 सत्यों का ज्ञान कराया जाता।
   1- संसार दुखमय है।
   2- इन दुखों से छुटकारा सम्भव।
   3- " " " ही निर्वाण।
   4- मानव के प्रति कल्याण भावना ही निर्वाण।

* शिक्षा की पाठ्यचर्या:- [प्राथमिक, उच्च व भिक्षु शिक्षा के आधार पर]

1- प्राथमिक स्तर की पा. := 6 वर्ष अवधि। सिद्धरस्त पोथी द्वारा 49 अक्षरों का ज्ञान, पढ़ना-लिखना। '5' विज्ञान पढ़ाये जाते थे] शब्द, शिल्प, चिकित्सा, हेतु व अध्यात्म विद्या।

2- उच्च स्तर की पाठ्यचर्या:= 12 वर्ष अवधि। व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान व दर्शन का सामान्य ज्ञान कराया जाता। फिर शिक्षा जैसे- पाली, प्राकृत, संस्कृत का साहित्य न्याय शास्त्र, खगोलशास्त्र, अर्थशास्त्र, कला, कौशल

"पबज्जा संस्कार"

3 - भिक्षु शिक्षा की पाठ्यचर्या :- उच्च शिक्षा के उपरान्त [उपसंपदा संस्कार] केवल धर्म व दर्शन का ज्ञान। पाठ्यचर्या - बौद्ध साहित्य त्रिपटक, सुत्तन्त, विनय, व धम्म को रखा गया।

२- प्रकृति के आधार पर बौद्धकालीन शिक्षा

1- लौकिक पाठ्यचर्या - पठन, लेखन, गणित, कला कौशल, व्यावसायिक, शिक्षा, पशु पालन चिकित्सा, व वाणिज्य।

२- धार्मिक पाठ्यचर्या - बौद्ध साहित्य का विशेष अध्ययन, बौद्ध धर्म की तुलना हेतु वैदिक धर्म का अध्ययन, विहारों का सम्पत्ति का लेखा-जोखा

* शिक्षण विधियाँ :-

1- अनुकरण विधि -
2- प्रश्नोत्तर विधि -
3- व्याख्या विधि -
4- व्याख्यान विधि -
5- वाद-विवाद एवं तर्क विधि
6- सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ
7- प्रदर्शन एवं अभ्यास
8- स्वाध्याय विधि
9- देशाटन -

MANAGEMENT & TECHNOLOGY BULANDSHAHR

* अनुशासन
प्रव्रज्या संस्कार के समय बताये गये 10 नियमों का कठोरता-से पालन। भिक्षुक का अपमान व शादी करने पर मठ व विहारो से निकाल दिया जाता था।

* शिक्षक [उपाझयाय, उपाध्याय] बौद्ध उपाध्याय अपने शिष्यो [श्रमणों] के आवास, भोजन की व्यवस्था, व उनका ज्ञानवर्द्धन कराते थे।

* शिक्षार्थी [श्रमण, शाम्नेर] मठों व विहारो में रहना अनिवार्य। दस आदेश तथा दस शिक्षा पद [दस सिक्खा पदानि] आदेशों का कठोरता से पालन, गुरू के उठने से पहले उठते थे। गुरूओं के पालन व्यवस्था
"गुरू व शिष्य मे पुत्र व पिता वाला सम्बन्ध होता था"

* शिक्षण संस्थाऐं - मठ व विहार
* शिक्षा के अन्य पक्ष - जनशिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक, धार्मिक व नैतिक
* शिक्षा के मुख्य केन्द्र - तक्षशिला वि०वि०, नालन्दा, वल्लभी, विक्रमशिला वि०वि०
* अन्य शिक्षा केन्द्र - सारनाथ - वाराणसी, नदिया - बंगाल मे, कांची - दक्षिण भारत
* बौद्धकालीन मुख्य वैदिक शिक्षा केन्द्र - वैदिक शिक्षा केन्द्र "अग्रहार" कहलाते हैं। शिक्षा ब्राह्मण शिक्षकों द्वारा दी जाती। कदिपुर अग्रहार, सर्वज्ञपुर अग्रहार व बेलग्राम अग्रहार

मुगलकालीन व मध्यकाल में शिक्षा
[Education in Medieval Period]

मुगलकाल :- 1200 से 1700 ई० तक का काल।

शिक्षा का अर्थ :- "मकतब" व "मदरसों" में दी जाने वाली शिक्षा

INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECH. BULANDSHAHR

मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्ष [features]

* शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त :- 1. राज्य का परोक्ष नियन्त्रण
  2. निःशुल्क शिक्षा
  3. आय का मुख्य स्रोत राज्य सहायता

* शिक्षा की संरचना एवं संगठन :- 1. प्राथमिक स्तर पर शिक्षा – "मकतब में"
  2. उच्च स्तर " " " – 'मदरसों में'

मकतब :- कुतुब शब्द से बना है जिसका अर्थ है – वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। जो मस्जिदों से सम्बन्धित होते थे। 'बिस्मिल्लाह खानी" रसम होती थी। प्रवेश के लिये।

मदरसा :- अरबी भाषा के "दरस" शब्द से बना है। जिसका अर्थ है – भाषण देना। चूंकि उच्च शिक्षा भाषण द्वारा दी जाती थी।

* शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श :-

1- ज्ञान का विकास
2- इस्लाम संस्कृति का प्रचार व प्रसार
3- नैतिक व चारित्रिक विकास
4- शासन के प्रति वफ़ादारी
5- कला-कौशलों व व्यावसायिक शिक्षा
6- सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति
7- इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार

* शिक्षा की पाठ्यचर्या :-

1- प्राथमिक स्तर पर :- सभी विषय अनिवार्य। लिपि ज्ञान, पत्र लेखन, अंकगणित, कुरान शरीफ, लिखना, अर्जीनवीसी पढ़ाई - सिखाई जाती है। गुलिस्तां एवं बोस्तां जैसी नैतिक शिक्षा की किताबें पढ़ाई

2- उच्च स्तर पर :- लौकिक – अरबी, फारसी के साहित्य, इतिहास, भूगोल, अंकगणित, इस्लामी कानून, यूनानी चिकित्सा, नीतिशास्त्र ज्योतिषि
धार्मिक – कुरानशरीफ, इस्लामी इतिहास, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य व शरिअत का अध्ययन कराया जाता था।

* शिक्षण विधियाँ :-

1- अनुकरण, अभ्यास एवं स्मरण विधि -
2- भाषण व्याख्यान व व्याख्या विधि -
3- प्रदर्शन, प्रयोग, व अभ्यास विधि -
4- तर्क विधि -
5- स्वाध्याय विधि -

* दो अन्य शिक्षण विधियाँ :- 1- शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी
2- नाटकीय पद्धति।

* अनुशासन – शिक्षकों के आदेशों और मकतब तथा मदरसों के नियमों का पालन करना होता था। कठोर दण्ड दिया जाता था। मुर्गा बना दिया जाता था, बैंतों से पीटा जाता था। दमनात्मक अनुशासन था।

* शिक्षक (उस्ताद) – अरबी व फारसी के विद्वान। अपने ज्ञान और आचरण के प्रति सदैव सचेष्ट रहते थे। ऐश्वर्य पूर्ण जीवन जीते थे।

* शिक्षार्थी (शागिर्द) – मकतबों व मदरसों के कठोर अनुशासन का पालन करते। आरामदायक जीवन जीते थे। भोजन में चपाती, मुर्गा व पुलाव खाते तथा छात्रावासों में कालीनों पर सोते थे।

"शिक्षक व शिक्षार्थी के बीच मधुर सम्बन्ध थे। परन्तु गुरुओं के आदेशों का पालन गुरुओं के भय से करते थे।"

* शिक्षण संस्थाएं – मकतब, मदरसा, खानकाहें, दरगाहें, कुरान स्कूल, फारसी स्कूल

* शिक्षा के अन्य विशेष पक्ष – जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, कला-कौशल व व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक व नैतिक शिक्षा।

* मुख्य शिक्षा केन्द्र – दिल्ली, फिरोजाबाद, बदायूं, आगरा व फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, बीदर व मालवा की मस्जिदें, मकतब व मदरसे

* मुख्य हिन्दू शिक्षा केन्द्र – बौद्ध केन्द्र समाप्त हो गये थे। परन्तु वैदिक शिक्षा केन्द्र काशी, अयोध्या, उज्जैन, नासिक व कर्नाटक आदि थे।

* मुस्लिम शिक्षा प्रणाली (गुण) – ज्ञान के विकास पर बल, इतिहास लेखन की शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा को राज्य का संरक्षण, छात्रवृत्तियाँ

[दोष] – आर्थिक सहायता में पक्षपात, तत्कालीन भारतीय शिक्षा पर प्रहार, रटने पर अधिक बल, जन शिक्षा की अवहेलना, दमनात्मक अनुशासन, धार्मिक व नैतिक शिक्षा का संकुचित रूप, शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएं।

Unit - II

1- मैकाले का विवरण पत्र, 1835 [Macaulay Minute 1835]

1813 में British parliament ने East India Company को भारतीयों की शिक्षा के सन्दर्भ एक आज्ञा पत्र जारी किया जिसमें लिखा कि प्रतिवर्ष एक लाख रु का प्रयोग साहित्य के रख रखाव व भारतीय विद्वानो के प्रोत्साहन व ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में रहने वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने में किया जाये। इसमें साहित्य व भारतीय विज्ञान शब्द की व्याख्या नहीं की गयी इसी लिये 2 विवाद छिड़ गये

1- प्राच्य विवाद := अरबी, फारसी, संस्कृत को भाषा माध्यम
[H.D Prinsaip, H.H. Wilson]

2- पाश्चात्य विवाद := भाषा का माध्यम English [David Heir, Ram Mohan Roy, Macaulay]

1834 में Lord William Bentinck ने Macaulay को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाकर 1813 का आज्ञा पत्र को स्पष्ट करने को कहा तथा प्राच्य, पाश्चात्य विवाद को सुलझाने को।

मै० विवरण पत्र Macaulay Minute 1835 := Macaulay ने 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 का अध्ययन करके 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउन्सिल को पेश किया इसी के नाम पर इसे "मैकाले का विवरण पत्र" कहा जाता है।

इसमे 3 मुद्दों पर विवाद -
1- 1 लाख का खर्च कैसे हो।
2- साहित्य शब्द का क्या अर्थ लिया जाये।
3- भारतीय सीमा में कौनसे विज्ञान लिये जायें।

MANAGEMENT
BULANDSHAHR

Macaulay इसको निम्न वत् स्पष्ट किया -
1- 1 लाख व्यय की व्याख्या - कम्पनी अपनी स्वेच्छा से किसी भी मद पर व्यय।
2- साहित्य शब्द " " - केवल अंग्रेजी साहित्य से लिया गया [अरबी फारसी से नहीं]
3- भारतीय विज्ञान " " - " " " के विद्वानों से जैसे - Lock & Milton

मैकाले के सुझाव :=

1- प्रा० साहित्य के प्रकाशन पर सरकारी धन व्यय नहीं किया जाए।
2- भारतीयों को English का ज्ञान अनिवार्यता से।
3- ज्ञान वि०, कानून, की शिक्षा व शिक्षा का माध्यम English ही किया जाए।
4- उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों के द्वारा यह शिक्षा निम्न वर्ग तक भी पहुंचेगी।
5- धार्मिक शिक्षा किसी भी विद्यालय में नहीं होगी।

ब्रिटिश सरकार ने मैकाले की सिफारिशों को अपनाते हुये 7 मार्च 1835 को सरकार ने शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। जो इस प्रकार थी -

1- 1 लाख [100000] का प्रयोग केवल English शिक्षा पर।
2- संस्कृत, अरबी, फारसी संस्थाओं को बन्द न करके उनके शिक्षकों का वेतन व छात्रवृत्ति ऐसे ही निरन्तर रहेगी।
3- प्राच्य साहित्य के मुद्रण एवं प्रकाशन पर कोई व्यय नहीं होगा।
4- उपर्युक्त सं०3 से बचने वाली धनराशी English भाषा व English literature व पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पर ही खर्च होगा

मैकाले विवरण पत्र व बैंटिंक की शिक्षा नीति के परिणाम :=

1- भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली English माध्यम की शुरूआत।
2- प्राच्य भाषा व साहित्य के स्थान पर पाश्चात्य भाषा अंग्रेजी और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को स्थान मिला।

मैकाले विवरण पत्र के गुण :=

1- प्राच्य, पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय -
2- पाश्चात्य भाषा साहित्य व ज्ञान विज्ञान की वकालत -
3- प्रगतिशील शिक्षा की वकालत -
4- शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्था की नीति -

BULANDSHAHR

मैकाले विवरण पत्र के दोष :=

1- 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या पक्षपातपूर्ण -
2- प्राच्य साहित्य की आलोचना।
3- English शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव अनुचित -
4- केवल उच्च वर्ग के लिये उचित शिक्षा व्यवस्था का सुझाव अनुचित -
5- निस्यन्दन सिद्धान्त की पुष्टि अनुचित।

मै० विवरण पत्र का तत्कालीन प्रभाव :=

1- शिक्षा नीति [Bentick Resolution] की घोषणा होते ही English Medium यूरोपीय ज्ञान.वि. की प्रधान शिक्षा नीति की घोषणा हो गयी।
2- 1837 में Lord Auckland ने English को राजभाषा घोषित किया।
3- Lord Harding ने आदेश जारी किया कि English जानने वाले छात्रों को ही सरकारी नौकरी दी जायेगी।
4- प्राच्य साहित्य को निरर्थक बताते हुये उसका मज़ाक उड़ाया गया।

निस्यन्दन सिद्धान्त | छन्नीकरण का सिद्धान्त या अधोगामी सिद्धान्त
[Filteration Theory | Downward Filteration Theory] :-

इसके लिये भी 2 वर्ग थे।

1- केवल उच्च वर्ग लोगो के लिये ही english की शिक्षा व्यवस्था की जाए।
2- अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था सभी वर्ग के व्यक्तियो के लिये।

1835 में मैकाले ने सुझाव दिया कि उच्च वर्ग के व्यक्तियों को ही English शिक्षा दी जाये जो हमारे लिये वाहक का काम करेगी। इसके बाद ही एक सिद्धान्त का विकास हुआ कि शिक्षा व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लिये ही की जाये। इनके सम्पर्क मे आते ही निम्न वर्ग के व्यक्तियो के सम्पर्क में आते ही वह स्वंय ही सीख जायेगी। इसे ही निस्यन्दन सिद्धान्त या filleration theory कहा गया।

Adam Report :- William Adam ने अपना सर्वेक्षण जारी रखते हुये अपनी Report Lord Auckland को तीन किस्तों मे प्रस्तुत की।

Ist Report :- July 1835 में सम्पूर्ण बगांल प्रान्त के स्कूल सम्बन्धी आंकडे प्रस्तुत किये।

IInd Report :- Dec 1836 में, जिला राजशाही के थाना नटूर के शिक्षा सम्बंधी आंकडे " "

IIIrd Report :- Feb 1838 में, मुर्शीदाबाद, बर्दवान, बिरहुम, तिरहट व दक्षिण बिहार-क्षेत्रो में सर्वेक्षण कर आकंडे प्रस्तुत किये।

तथा Adam ने यह भी लिखा कि भारत में जन शिक्षा बहुत जरूरी है जो यहाँ की भाषाओं के माध्यम से होनी चाहिये।

Lord Auckland ने इस Report को अस्वीकृत करते हुये मैकाले का "निस्यदन सिद्धान्त (छन्नीकरण सिद्धान्त) को लागू करने का फैसाला ले लिया।

2- * Wood Despatch 1854 [वुड का घोषणा पत्र 1854] :- प्रधार [चेयरमैन] सर चार्ल्स वुड Sir Charles Wood ने 19th July 1854 को इस शिक्षा नीति की घोषणा की। इसी-लिये इसे 'वुड घोषणा पत्र 1854' के नाम से जाता जाता है। यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदो (Articles) का एक लम्बा अभिलेख है।

वुड के घोषणा पत्र द्वारा घोषित शिक्षा नीति, 1854 :-

शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त :- 1- शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी (सरकार) पर -
2- जन शिक्षा विभाग की स्थापना -
3- सहायता अनुदान प्रणाली -

BULANDSHAHR

शिक्षा का संगठन := इसपर 2 घोषणाऐं की गई।

1- शिक्षा का संगठन 4 स्तरों पर होना -

प्राथमिक स्कूल | मिडिल | हाईस्कूल | उच्च

2- क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना होना-

प्राथमिक | मिडिल | हाईस्कूल | कॉलिज | विश्व विद्यालय

* शिक्षा के उद्देश्य :=

1- भारतीयों का मानसिक विकास तथा उनका बौद्धिक स्तर ऊंचा करना।
2- पाश्चात्य विज्ञान से परिचित कराकर उनकी भौतिक उन्नति करना।
3- नैतिक व चारित्रिक विकास करना।
4- राज्य सेवा के लिये सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना।

MANAGEMENT BULANDSHAHR INSTITUTE

शिक्षा की पाठ्यचर्या :=

1- प्राच्य भाषा एवं साहित्य में पाठ्यचर्या को उचित स्थान देने की घोषणा की गयी।
2- भौतिक उन्नति के लिये पाश्चात्य वि० की शिक्षा पर विशेष बल देने की घोषणा।
3- मिशन स्कूलों को धार्मिक शिक्षा की छूट दी गयी। सभी सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी Library में Bible रखना अनिवार्य किया गया -

शिक्षण विधि :=

1- प्राथमिक शिक्षा का माध्यम - देशी व अंग्रेजी स्वीकार हुआ।
2- उच्च शिक्षा " " - अंग्रेजी किया गया।

शिक्षक := जीवनस्तर ऊंचा उठाने के लिये शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की मांग की।

शिक्षार्थी := किसी भी विद्यालय में छात्रों के लिये [गरीब] छात्रवृत्ति का प्रावधान किया।

शिक्षण संस्थाए := विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना -
व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना -
विश्वविद्यालय की स्थापना-

जन शिक्षा := छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, देशी व मिशनरी स्कूल लाइब्रेरी में Bible रखना अनिवार्य तथा निस्यन्दन सिद्धान्त की समाप्ति।

स्त्री शिक्षा := बालिका वि० के लिये विशेष अनुदान की व्यवस्था।

मुस्लिम शिक्षा := विशेष स्कूल खोले जाये व मु० बच्चों के लिये स्कूल व्यवस्था।

व्यवसायिक शिक्षा := इस शिक्षा की उचित व्यवस्था व उनको सरकारी नौकरी।

धार्मिक शिक्षा := देशी सरकारी व सभी मिशनरी स्कूलों की लाइब्रेरी में Bible रखना अनिवार्य।

शिक्षक शिक्षा := 1- इंगलैंड की भाँति शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
2- यह प्रशिक्षण सामान्य शिक्षकों, विधि शिक्षकों और चिकित्सा शिक्षकों के लिये अलग-2 होगा।
3- प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था।

वुड घोषणा पत्र के गुण :=

1- शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार का।
2- शिक्षा विभाग की स्थापना।
3- सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारम्भ।
4- छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।
5- पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पर बल।
6- मनोवैज्ञानिक स्तर शिक्षा का संगठन – प्राथमिक (शिशु), मिडिल (बाल) हाईस्कूल (किशोर), उच्च (युवा)
7- नैतिक व चारित्रिक विकास पर बल – "पाश्चात्य ज्ञान वि० से परिचित कराकर"
8- विश्वविद्यालयों की स्थापना –
9- निस्पन्दन सिद्धान्त की समाप्ति व जन-शिक्षा पर बल।
10- पाश्चात्य व प्राच्य दोनों प्रकार के विद्यालयों पर बल।
11- व्यावसायिक शिक्षा व स्त्री शिक्षा पर बल –
12- मुस्लिम व शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था पर बल।

BULANDSHAHR

वुड घोषणा पत्र के दोष :=

1- शिक्षा कम्पनी (ब्रिटिश शासन) के नियन्त्रण में –
2- सहायता अनुदान की कठोर शर्ते –

3- शिक्षा में लालफीताशाही का श्री गणेश -
4- उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी -
5- रा० स्कूलो में Bible की अनिवार्यता -
6- सरकारी नौकरी के लिये अंग्रेजी जानना अनिवार्य -

वुड घोषणा पत्र का तत्कालीन प्रभाव :=

1- 1856 तक सभी प्रान्तों में शिक्षा विभागों की स्थापना ।
2- सभी स्तर के स्कूल कालिजो की स्थापना शुरू
3- सभी प्रान्तों में सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारम्भ ।
4- 1857 में Kolkata, & Mumbai में वि.वि. की स्थापना ।

यह पहला सरकारी दस्तावेज है। जिसमें सरकार की शिक्षा नीति और योजना की रूपरेखा प्रस्तुत हुई।

वसु के शब्दों में := "यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का अभिलेख है।" भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव इसी ने धरी था। भारतीय दृष्टि से देखा जाये तो इसमें गुण अधिक व दोष कम हैं। इसकी सबसे बड़ी देन रही कि -

"शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व है।"

James के अनुसार := भारतीय शिक्षा का मघाधिकार पत्र Magna-Chaster of Indian Education" कहा ।

अत: कहा गया है कि यह आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर है।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

= x =

3-
भारतीय शिक्षा आयोग [हण्टर कमीशन] 1882 -
[Indian Education Commission, 1882]

Hunter Commission := 1854 की शिक्षा नीति लागू हुये 25 वर्ष हो चुके थे अत: नयी शिक्षा के लिये Lord Rippon ने 3rd Jan 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया जिसके अध्यक्ष William Hunter थे। इसी लिये आयोग का नाम Hunter Commission पड़ा। आयोग ने Wood despatch का गहन अध्ययन करके 770 पृष्ठों का दस्तावेज 1883 को सरकार को प्रस्तुत किया। जिसमें निम्न पहलुओं पर सुझाव दिये -

भा. शिक्षा आयोग 1882,

	प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	उच्च शिक्षा
वित एवं प्रशासन	स्थानीय निकायों	धनी, व्यक्तियों से अनुदान	जनता पर, व्यवस्था[illegible]
उद्देश्य	जन शिक्षा प्रसार, व्यवहारिक जीवन की शिक्षा	सामान्य जीवन की तैयारी उच्च शिक्षा में प्रवेश " "	उच्च ज्ञान की प्राप्ति मानव धर्म का ज्ञान नागरिकों के कर्तव्यों का ज्ञान नैतिक उत्थान प्रकृति-धर्म।
पाठ्यचर्या	प्रान्तीय भाषा, प्रान्तीय व्यवहार, मानदण्डों की शिक्षा व्यवस्था, गणित, बहिखाता सरल वि०, आरोग्य वि०, सा विज्ञान अनिवार्य। कृषि, कताई, पशुपालन बुनाई, सा० शिक्षा।	पाठ्यक्रम (a) English अनिवार्य साहित्य पा०, उच्च शिक्षा के लिये साहित्यिक विषय ज्ञान पाठ्यक्रम (b) जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम, उच्च व्यावसायिक शिक्षा व विषयों को स्थान, English अनिवार्य।	रुचि विषयों का चुनाव नैतिक शिक्षा अनिवार्य मानव धर्म से सम्बंधित पुस्तकें तैयार।
शिक्षा का माध्यम	देशी भाषाऐं [प्रान्तीय भा.]	English को ही माध्यम	कोई सुझाव नहीं अत English ही माध्यम
शिक्षकों का प्रशिक्षण	Normal School शिक्षक प्रशिक्षण संस्थायें खोली जायें।	महाविद्यालय खोले जायें।	European Science में शिक्षा प्राप्त छात्रों को प्राथमिकता दी जाऐ।
प्रोत्साहन	प्राथमिक देशी पाठशालाओं छात्रवृत्तियां निर्धन छात्रों की उपयोगी विषयों का समिति प्रशिक्षण की व्यवस्था।	—	—

BULANDSHAHR

	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च
स्त्री शिक्षा	—	—	निशुल्क शिक्षा, अनुदान व्यवस्था, छात्रवृत्तियाँ, महिला शिक्षक व महिला निरिक्षकों की नियुक्ति बालिका वि० की स्थापना की
मुस्लिम शिक्षा	—	—	फारसी शिक्षा माध्यम, छात्रवृत्तियाँ, मुस्लिम बच्चों की Annual Report अलग से दर्शायी जाएं।
SC/OBC शिक्षा	—	—	बिना भेद भाव के सभी छात्रों को प्रवेश। SC, OBC शिक्षकों की नियुक्ति व छात्रवृत्तियां
धार्मिक शिक्षा	—	—	कोई धार्मिक शिक्षा व्यवस्था नहीं।
ईसाई मिशनरियों की भूमिका	—	—	शिक्षा भार ई० मिशनरियों पर नहीं। मिशनरी व भारतीय स्कूलों में कोई भेदभाव नहीं।

भारतीय शिक्षा आयोग (1882) गुण :-

1- मा० शि० में ईसाइयों का प्रभुत्व समाप्त
2- wood despatch 1854 में भारतीय हित वाले तत्वों पर मुहर।
3- स्त्री, मुस्लिम, पिछड़ी जाति के बच्चो की शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव।
4- प्रा० शि० भार स्थानीय निकायों को देने से जन शिक्षा प्रसार।
5- प्रशिक्षणों के लिये विद्यालय व महाविद्यालय खोलने का सुझाव।
6- व्यक्तिगत प्रयासों में भारतीय के प्रयासों को अधिक प्रोत्साहन।

दोष :-

1. स्थानीय निकायों को भार देने से शिक्षा स्तर में गिरावट।
2. निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा सामान्य के लिये कोई सुझाव नहीं।
3. मुस्लिम बच्चों के लिये अलग से विद्यालय साम्प्रदायिकता को बढ़ावा।
4- मा० स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिये कोई सुझाव नहीं।
5- स्थानीय निकायों को दी जाने वाले अनुदान की कोई सीमा नहीं।
6- अनुदान की शर्तें सरल परन्तु इसमें परिक्षाफल को जोड़ दिया गया।
7- "वर्ग भेद" को बढ़ावा।

MANAGEMENT & TECHNOLOGY BULANDSHAHR

4-

* भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, लार्ड कर्जन शिक्षा नीति 1904
[Indian Univ Commi 1902, Lord Curzon Education Policy 1904]

शिक्षा में संख्यात्मक व गुणात्मक उन्नति पर विस्तार से विचार के लिये Lord Curzon ने Sep 1901 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया। यह आयोजन 15 दिन तक चला तथा इसमे 150 प्रस्ताव पारित किए। इसमें कोई भारतीय नहीं था जिसके कारण भारतीयो में इसके प्रति भय व रोष थे।

इस सम्मेलन में Lord Curzon ने अपनी इच्छानुसार प्रस्ताव पारित किये। इसके चलते इसे "शिमला स्वीकृति सम्मेलन" Shimla Accord कहते हैं।

भारतीय वि० वि० की निम्न कोटि की शिक्षा स्थिति को देखकर Lord-Curzon ने 27 Jan 1902 को "भा० वि० आयोग" की नियुक्ति की। डा० गुरुदास बनर्जी व सय्यद हसन बिलग्रामी को इसका सदस्य बनाया तथा इसकी अध्यक्षता रैले (Railey) महोदय ने की। इसीलिये इसे Railey Commission कहा जाता है।

आयोग का कार्य क्षेत्र :-

1- वि०वि० कार्यप्रणाली का अध्ययन व प्रभाविकता के लिये सुझाव।
2- " शैक्षिक व्यवस्था का अध्ययन व शैक्षिक स्तर ऊंचा उठाने के सुझाव।
3- " " से सम्बद्ध महा०वि० की स्थिति का अध्ययन व शिक्षा स्तर ऊंचा " "

भारतीय वि० वि आयोग 1902 के सुझाव :-

	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
प्रशासन एवं सगठन सम्बन्धी सुझाव [प्रबन्ध सम्बंधी]	1. वि०वि में सीनेट सदस्यों की सं०घटा दी जाये व कार्य काल 5 वर्ष किया जाये 2. 20% की सीनेट सदस्यों का निर्वाचन शिक्षा विदो, कालिजों प्राचार्यों प्रतिनिधित्व 3- वि०वि की सीमा (Jurisdiction) निश्चित किया जाए। 4- सिडीकेट सदस्यों की सं०9 से बढ़ाकर 15 कर दी जाए। निर्वाचन सीनेट सदस्य	1- महा०वि० के लिये एक सुसंगठित प्रबन्धकारिणी समिति (Senate) होनी चाहिए। 2- प्रबन्ध समितियाँ महा०वि० के उचित प्रबन्ध की उत्तरदायी हो। 3- भवन, प्राध्यापक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय का उचित प्रबन्ध। 4- शिक्षण शुल्क syndicate की महा०वि० की परिस्थितिनुसार निश्चित करना चाहिए।
शिक्षा व्यवस्था सम्बन्धी सु०	1- शोध कार्य की व्यवस्था शिक्षण का उत्तरदायित्व वि० वि को सौंपा जाए। 2- वि०वि० पाठ्यक्रमों में सुधार " 3- वि० वि शिक्षण हेतु योग्य प्राध्यपकों की नियुक्ति। [8] 4- " " परीक्षाप्रणाली व मूल्यांकन में सुधार	1- सम्बद्धता के कठोर नियम हो। 2- निम्न स्तर महा०वि बंद होने चाहिए। 3- सम्बद्ध महा०वि का नियमित रूप से निरिक्षण। 4- केवल स्नातक का ही शिक्षण। 5- महा०वि पाठ्यक्रमों में सुधार।

भारतीय वि०वि० आयोग 1902 के गुण :=

1. वि०वि सीनेट सीमितसदस्य | 5 वर्ष कार्यकाल | शिक्षा विदो व प्रधानाध्यों की नियुक्ति
2. शोध कार्य व शिक्षण कार्य की उचित व्यवस्था |
3. प्राध्यापकों का चयन वि०वि० को सौंपना चाहिये |
4. पाठ्यक्रमो, परिक्षा प्रणाली व मूल्यांकन में सुधार |

" दोष :- [1902]

1- वि०वि० के आन्तरिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बनाये रखना |
2- महा०वि० की सम्बद्धता के कठोर नियम होना |

अत: इन सुझावों से प्रशासक, विद्वान व लार्ड कर्जन प्रभावित व सहमत होकर इन सुझावों को विश्व विद्यालय अधिनियम 1904 के रूप में पारित करा दिया | 21 मार्च 1904 को कानून रूप में प्रकाशित किया गया |

* भारतीय वि०वि० अधिनियम 1904 :=

इस अधिनियम में मुख्य धाराओं को सम्मिलित किया गया |

1- सीनेट में कम से कम 50 तथा अधिक से अधिक 100 सदस्य होंगे | व 5 वर्ष कार्यकाल
2- " को कानूनी मान्यता व प्रधायापकों में उचित प्रतिनिधित्व |
3- Kolkata, Mumbai, Madras वि०वि० में 20-20 तथा Punjab & Allahabad में वि० वि० में 15-15 फैलो होंगे | (सभासद होंगे)
4- वि० वि सीमा (Jurisdiction) निश्चित करने का अधिकार जनर्ल गवर्नर को होगा |
5- उच्च शिक्षा, शोध कार्य, प्राध्यापकों की नियुक्ति वि० वि का ही अधिकार होगा |
6- सीनेट द्वारा पारित नियमों में संशोधन का अधिकार सरकार को |

भारतीय वि० वि० अधिनियम 1904 के गुण :=

BULANDSHAHR

1- प्रशासन में सुधार हुआ |
2- वि० वि० में शिक्षण कार्य की शुरुआत हुई |
3- शिक्षाविदों व प्रध्यापकों को प्रतिनिधित्व मिला |
4- सम्बद्धता का कड़ाई से पालन होने पर शिक्षा स्तर ऊंचा उठा |
5- निरिक्षण शुरू होने से निम्न स्तर के महाविद्यालय स्वत: ही बन्द हो गये |

भारतीय वि॰वि॰ अधिनियम 1904 के दोष :=

1- वि॰वि॰ पर सरकारी नियन्त्रण से उनकी स्वायत्तता कम हो गयी।
2- नये वि॰वि खोलने की कोई व्यवस्था नहीं। वि॰वि॰ की कमी।
3- परीक्षा प्रणाली में सुधार पर कोई बल नहीं दिया जिससे उसमें कोई सुधार नहीं हुआ।

शिक्षा प्रणाली व परीक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हुआ। परन्तु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की शुरुआत अवश्य हुई।

BULANDSHAHR

* लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 :=

लार्ड कर्जन ने "शिमला शिक्षा सम्मेलन, 1901" में पारित प्रस्तावों के आधार पर एक शिक्षा नीति तैयार की और 11 मार्च 1904 को इसे एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। इसमें तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया गया जिसके बाद उसमें सुधार के लिये नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई।

शिक्षा नीति 1904, के सुझाव :=

प्राथमिक शि॰ नीति सुझाव	माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी	उच्च शिक्षा सम्बंधी
1, प्रा॰ शि॰ प्रसार के लिये ठोस कदम उठाये।	गैरसरकारी सभी मा॰ स्कूलों के सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता जरूरी	" " उन्नति के लिये आवश्यक धनराशी बढ़ाई जाए।
2, स्थानीय निकाय कोष केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही खर्च	मान्यता प्रदान तथा सहायता अनुदान स्वीकृति नियम कठोर किये जाएं।	2 महा॰वि व वि॰वि॰ शिक्षास्तर ऊँचा करने के लिये प्रयास किये जाएं
3, प्रान्तीय सरकार क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार अनुदान दे।	पाठ्यक्रमों में व्यवसायिक विषयों को स्थान मिले।	3 बाह्य परीक्षाओं External Exam का महत्व कम हो।
4 प्रान्तीय सरकारें प्रा॰ शि॰ पर हुये व्यय का 50% भाग वहन करे		—
5- पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाए	प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जाएं।	—
6- English हटाकर भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जाए।	—	—
7, प्रा॰ शिक्षकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए व उनके वेतन में वृद्धि की जाए।	—	—

शिक्षा नीति 1904 के गुण :=

1. नीति के प्रारम्भ में ही प्रा०शिक्षा की सही स्थिति प्रस्तुत की गयी।
2. प्रा० शिक्षा के गुणात्मक व संख्यात्मक प्रसार व उन्नयन के लिये सही सुझाव।
3. मा०वि को मान्यता के कठोर नियम, पाठ्यक्रमों मे व्यावसायिक विषयों का समावेश व प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का सुझाव।
4- उच्च शिक्षा उन्नयन व प्रसार के लिये अधिक धनराशी की स्वीकृति होना।

1904 के दोष :=

1- मा०वि की मान्यता व अनुदान के कठोर नियम होने से माध्यमिक शिक्षा प्रसार में बाधा।
2- सरकारी अकुंश से लालफीताशाही Red Tapizm

Lord Curzon की इस नीति से लाभ अधिक व दोष कम थे। अतः आज भी Lord Curzon धन्यवाद के पात्र हैं।

5 * राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन और गोखले बिल [1911]

1905 में कलकत्ते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा की माँग के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया।

" अब वह समय आ गया है जब सम्पूर्ण भारत के व्यक्ति समस्त बालक-बालिकाओं की राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में ईमानदारी से सोचें और उसका देश की आवश्यकतानुकूल संगठन करें।"

राष्ट्रीय शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त :=

1- शिक्षा भारतीय नियन्त्रण में —
2- शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श भारतीय —
3- मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण —
4- अंग्रेज़ी के वर्चस्व की समाप्ति —
5 - व्यावसायिक विषयों का समावेश -
6 - मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा —
7. पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा —

Hertog Bultar ने इस विधेयक का विरोध करते हुये अपने पक्ष में 5 तर्क प्रस्तुत किये।

1- विधेयक समय से पहले तत्पश्चात प्रा० शिक्षा को अनिवार्य बनाने में कठिनाईयां
2- प्रान्तीय सरकारें भी अभी इसके पक्ष में नहीं।
3- स्थानीय निकायों ने इस पर अपनी असमर्थता प्रकट की है।
4- सामान्य भारतीय जनता इसके लिये कोई मांग नहीं कर रही है।
5- शिक्षित भारतीय भी इसकी अनिवार्यता के पक्ष में नहीं है।

गोखले ने इन तर्कों को व्यर्थ बताया परन्तु मदन मोहन मालवीय व मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल का समर्थन किया तथा यह विधेयक 13 मतों के विरुद्ध 38 मतों पर गिर गया।

गोखले के प्रयत्नों का प्रभाव :- गोखले विधेयक केन्द्रिय धारा सभा में पास नहीं हो सका। परन्तु विधेयक के पक्ष में तर्कों से ब्रिटिश सरकार समझ गयी कि भारतीय को शिक्षा अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता।

6- * कलकत्ता वि०वि० आयोग : 1917-19 [सेडलर कमीशन]
Calcutta Univ Commi : 1917-19 [Sadler Commi]

वि०वि में छात्रों की घटती संख्या व स्नातकोत्तर कक्षाएं की शुरुआत करने जैसी समस्याओं का अध्ययन करने व सुझाव देने के लिये 14 सितम्०, 1917 को "कलकत्ता वि०वि०" के कुलपति Dr- Michael Sadler की अध्यक्षता में "कलकत्ता वि०वि० आयोग" की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष Dr Sadler होने के कारण इनके नाम पर "Sadler Commission" भी कहते हैं।

आयोग का कार्यक्षेत्र :-

① कलकत्ता वि०वि० की तत्कालीन स्थिति, आवश्यकताओं, सम्भावनाओं व समस्याओं का अध्ययन करके उसके सुधार के लिये सुझाव देना।

② अन्य भारतीय वि०वि० का अध्ययन करके उसके आधार पर समस्त भारतीय वि० वि० सुधार के लिये सुझाव देना।

आयोग का प्रतिवेदन :- आयोग ने मई 1919 को अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित किया। यह प्रतिवेदन 17 भागों का एक विस्तृत अभिलेख है। जिसमें मा० शिक्षा, वि०वि० शिक्षा, स्त्री शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना :=

1- राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति - गुरूदास बनर्जी, पूर्वी बंगाल में 40 व पश्चि. बंगाल में 11 कुल 51 राष्ट्रीय हाई स्कूलों की स्थाप.

2- राष्ट्रीय कालिज - रवीन्द्र नाथ टैगोर, रास बिहारी, अरविंद घोष [उच्च शिक्षा केन्द्र]

3- समर्थ विद्यालय - पूना

आर्य समाज द्वारा स्थापित गुरूकुल और डी.ए.वी. कालेज की स्थापना उल्लेखनीय है।

* गोखले का प्रस्ताव 1910 :=

गोपाल कृष्ण गोखले उस समय "केन्द्रिय धारा सभा" Imperial legislative Council के सदस्य थे। 19 मार्च 1910 को इस केन्द्रिय धारा सभा में अनिवार्य एव नि। शुल्क प्रा. शिक्षा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें ये निम्न सुझाव प्रस्तुत किये गये।

1- 6-10 आयु के बच्चों के लिये अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा।
2- प्रा. शि. नियंत्रण के लिये सचिव की नियुक्ति।
3- " " के लिये अलग से प्रा.शि विभाग।
4- प्रा.शिक्षा पर स्थानीय निकायों व प्रान्तीय सरकारें 1:2 में व्यय वहन करे।

केन्द्र में स. 2 व 3 तो पूर्ण किये गये परन्तु निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। तब 1911 में गोखले 16 मार्च को केन्द्रिय धारा सभा में विधेयक [Bill] के रूप में पेश किया। जिसमे निम्न धाराओं को सम्मिलित किया गया।

1- स्थानीय निकायों को यह अधिनियम लागू करने से पूर्व प्रान्तीय सरकार की अनुमति लेनी होगी।
2- यह नियम पूर्ण क्षेत्र में लागू करने का अधिकार स्थानीय निकायों को हो।
3- उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगा जहाँ निश्चित % बच्चो का प्रा.शिक्षा प्राप्त कर रहा है।
4- 6-10 आयु वाले बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य अन्यथा नियम का उल्लंघन करने वाले अभिभावकों को दण्ड दिया जायेगा।
5- 10 Rs प्रति माह से कम आय वाले अभिभावकों को बच्चों की कोई शुल्क नहीं देना होगा।

2- पर्दानशीन युवतियों की शिक्षा व्यवस्था |2-3 वि०वि० मे ही हो सकी।
3- भारतीय वि०वि० को लन्दन वि०वि के आधार पर विकसित का सुझाव।
4- मुसलमानों पर विशेष ध्यान देने का सुझाव आयोग का साम्प्रदायिकता को बढ़ावा।

आयोग का प्रभाव:-

1- शिक्षा माध्यम मातृभाषा होने से मा० शिक्षा का प्रसार।
2- व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत हो गयी।
3- शारीरिक शिक्षा विभाग से खेल कूद की उत्तम व्यवस्था हो गयी।
4- वि० वि० को स्वायत्तता प्रदान करने से उसकी कार्यप्रणाली में सुधार हुआ।

अतः कहा जा सकता है कि कलकत्ता वि० वि० आयोग की सिफारिशें आज भी हमारी मार्गदर्शक हैं।

7- * हर्टाग समिति, 1927-29 [Hartog Committee 1927-29]

ब्रिटिश सरकार ने भारत की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्थिति को समझते हुये भारत में अपनी शासन नीति निश्चित करने के उद्देश्य से 8 नवम्बर, 1927 को "साइमन कमीशन" की नियुक्ति की। इसने भारतीय शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं और मांगों का अध्ययन करने के लिये एक सहायक समिति गठित की। Sir Philip Hartog को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इन्हीं के नाम पर इस समिति को हर्टाग समिति [Hartog-Commission कहा जाता है। जो कलकत्ता वि०वि० आयोग, 1917 के सदस्य व ढाका वि० वि० के कुलपति रह चुके थे।

इस समिति ने 11 सितम्बर 1929 को अपना प्रतिवेदन "साइमन कमीशन" को प्रस्तुत कर दिया। जिसके निम्न सुझाव रहे-

प्राथमिक शिक्षा सम्बंधी	माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी	उच्च शिक्षा सम्बन्धी
अपव्यय व अवरोधन के कारण =>	मिडिल स्कूलों को निम्न शैक्षिक स्तर।	वि०वि व महा०वि० के बीच तारतम्य नही है।
1- प्रा० वि० का दूर-दूर होना		
2- अधिकर प्रा० वि० एक अध्यापकीय है।	उपयुक्त शैक्षिक योग्यता व शिक्षक प्रशिक्षण अध्यापकों की कमी।	,, ,, के पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक है।
3- शिक्षण सामग्री का अभाव होने से अरुचिकर शिक्षण।	मा० शिक्षा मे विस्तार।	आनर्स कोर्स नही चलाए जा रहे।
4- दूर के प्रा० वि० अनियमित रूप से चलते हैं।	Xth से पहले कक्षोन्नति में उदारता।	वि०वि० व महा० वि में पुस्तकालय की अनुचित व्यवस्था।
5- —	वि०वि० उच्च शिक्षा प्रति कम आकर्षण	,, ,, क्षमता से अधिक छात्र

औद्योगिक शिक्षा व अध्यापक शिक्षा के विषय में भी सुझाव दिये।

कलकत्ता वि. वि. आयोग 1917-19 के सुझाव :=

मा.शिक्षा सम्बन्धी सुझाव	भारतीय वि.वि. सम्बन्धी सुझाव	कलकत्ता वि.वि. सम्बन्धी विशेष
1. मा. शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। जिसमें Board, सरकार, X th, XII th, Univer के प्रतिनिधि हो। इनको मान्यता, निरीक्षण व नियंत्रण का भार सौंपा जाये।	वि.वि. को मा.शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाये, अतः का कार्यभार कम किया जाये।	बंगाल देश में आवासीय शिक्षण वि.वि. की स्थापना की जाए। जिससे कलकत्ता वि.वि का भार कम हो।
2- XII th को वि.वि. से अलग	"सरकारी नियन्त्रण से मुक्त तथा हर क्षेत्र में स्वायत्तता दी जाए।	कलकत्ता वि.वि से सभी महा. वि. को जोड़ा जाये। ये वि.वि. शिक्षण कालिज रूप में कार्य करे।
3- XII th को X th स्कूलों में जोड़ दिया जाये या XII स्कूल अलग से खोले जायें।	वि.वि. प्रशासन सम्बन्धी नियम सरल व स्पष्ट किये जाऐं।	" वि.वि. में पर्दानशीन युवतियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उच्च शिक्षा अधिकार के लिये।
4- XII th में कला, वाणिज्य, विज्ञान व व्यावसायिक की शिक्षा व्यवस्था की जाए।	" " XII th पास छात्रों को प्रवेश व graduation 3 वर्ष का हो।	—
—	वि.वि. में स्नातकोत्तर शिक्षण व शोध कार्य की व्यवस्था हो।	—
—	" कानून, चिकित्सा व इंजीनियरिंग अध्ययन की भी व्यवस्था हो।	

BULANDSHAHR

आयोग 1917-19 के गुण :=

1- प्रत्येक प्रान्त में मा. शिक्षा बोर्ड का निर्माण होना।
2- मा. स्तर पर गणित को छोड़कर सभी विषयों का शिक्षण मातृ भाषा में।
3- वि.वि. में अध्ययन बोर्ड व विद्वत परिषदों की स्थापना।
4- " " विभागों की स्थापना।
5- " शारीरिक शिक्षा विभाग की स्थापना व संचालकों की नियुक्ति।
6- " कृषि, विधि (law) चिकित्सा इंजीनियरिंग व शिक्षक प्रशिक्षकों की व्यवस्था।

आयोग के दोष :=

1- मा. स्तर पर पर्दा स्कूलों की स्थापना जो नहीं किया जा सकता।

उपाय :-	उपाय :-	उपाय :-
1- प्रा॰ शिक्षा का पूरा भार स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया जाये।	मिडिल स्कूलों में पाठ्यक्रम सुधार के लिये जीवनपयोगी विषयों को स्थान दिया जाए।	वि॰वि॰ केवल शिक्षण व शोध संस्थानों के रूप में विकसित किये।
2- प्रा॰ शि॰ को अनिवार्य करने में जल्दी न की जाए।	मि॰ स्तर पर सार्वजनिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को योग्यतानुसार उद्योगों की शिक्षा दी जाए।	सामान्य स्तर से ऊंचे आनर्स कोर्स चलाए जाएं।
3- प्रा॰ वि॰ में निरीक्षकों की सं॰ में वृद्धि।	मा॰ वि॰ के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक व तकनीकी विषयों का समावेश किया जाए।	वि॰वि व महा॰वि॰ में औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाये व उच्च शिक्षा रोजगार परक बनायी जाए।
4- प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति।	प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति	
5- प्रा॰ शिक्षा न्यूनतम अवधि 4 वर्ष की जाए।	8th स्तर पर वैकल्पिक विषयों को चुनने की छूट दी जाए।	वि॰वि॰ रोजगार कार्यालय खोले जाएं जो छात्रों को नौकरी के अवसरों की जानकारी दें व नौकरी में सहायता करें।
6- पाठ्यक्रम में जीवनपयोगी विषयों को स्थान दिया जाए	शिक्षकों के वेतन बढ़ाए जाएं उनकी सेवाशर्तों में सुधार किया जाए और बीच में न निकाला जाए।	प्राध्यापकों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व वि॰ वि पर हो, केवल योग्य प्राध्यापक नियुक्त किये जाएं।

* हर्टाग, 1927-29 के गुण :-

1- अपव्यय व अवरोधन के कारणों की खोज की व समाधान के उपाय सुझाए।
2- मा॰ शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाने पर बल दिया न कि परीक्षा प्रधान को
3- शिक्षित बेरोजगारी को रोका। उच्च शिक्षा में व्यावसायिक व तकनीकी विषयों पर बल देकर।

MANAGEMENT BULANDSHAHR

सुझाव :-

1- प्रा॰ शिक्षा की अनिवार्यता में शीघ्रता न करने का सुझाव।
2- मि॰ स्कूलों के पाठ्यक्रमों में धनोपार्जन सम्बन्धी कौशलों का समावेश किया जाए।

1931 से 1937 के बीच प्रा॰ वि॰ की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई व आर्थिक अभाव के कारण मा॰ वि॰ की संख्या कम हो गई।

किसी भी स्तर की शिक्षा में कोई गुणात्मक सुधार भी नहीं हुआ। इस प्रकार इस समिति के सुझाव भारतीय शिक्षा के प्रसार में बाधक सिद्ध हुए।

8-

* बेसिक शिक्षा, 1937 [Basic Education 1937]

वर्धा योजना [Wardha Scheme] := ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1935 में "भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 पास किया। तथा 1937 में इसे लागू किया गया। जिसके बाद प्रान्तों में स्वशासन स्थापित हुआ। तब भारत 11 प्रान्तों में विभाजित था इसमें 7 प्रान्तों में कांग्रेस मंत्री मण्डल बने। तब राष्ट्र का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे।

11 अगस्त 1937 के अखबार में उन्होंने 7 से 14 वर्ष की शिक्षा का भार अपने ऊपर लिया। तब 2 अक्टूबर 1937 के हरिजन में लिखा प्रा० शिक्षा 7 वर्ष या इससे अधिक समय की हो। तथा अंग्रेजी को छोड़कर सभी विषय पढ़ाए जाएं।

श्री मन्नारायण अग्रवाल ने वर्धा में 22-23 Oct 1937 में 7 प्रान्तों के कांग्रेस मन्त्रीमण्डल के शिक्षा मन्त्रियों तथा शिक्षा शास्त्रियों, विचारकों व राष्ट्रीय नेताओं को आमन्त्रित करके "अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन" का आयोजन किया। इसे वर्धा शिक्षा योजना" भी कहा जाता है।

डा० ज़ाकिर हुसैन समिति, 1937 := [जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति] समिति ने 2 भागों में रिपोर्ट प्रस्तुत की।

1- पहली रिपोर्ट Dec 1937 में प्रस्तुत की जिसमें वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धान्त, पाठ्यक्रम, प्रशासन, व निरिक्षण कार्य पर प्रकाश डाला गया।

2- दूसरी रिपोर्ट April 1938 में प्रस्तुत की। जिसमें आधारभूत हस्त कौशलों से पाठ्यक्रम के अन्य विषयों का सह-सम्बन्ध स्थापित करने पर प्रकाश डाला गया। इस योजना को बुनियादी तालीम [Basic Education] भी कहा जाता है।

हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, 1938 := [Meeting] Feb 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में जाकिर हुसैन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। तथा सभी की सम्मति से इसे स्वीकार करते हुये "कांग्रेस शासित" प्रदेशों में लागू करने का निर्णय लिया गया।

अत: आज इसे वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा, तथा बेसिक शिक्षा जैसे कई नामों से जाना जाता है।

* बेसिक शिक्षा := जाकिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जो बेसिक शिक्षा हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार की गई, यहाँ उसका क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत है।

बेसिक शिक्षा की रूपरेखा :=

1- 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये प्रा० शिक्षा निशुल्क व अनिवार्य

2- मातृभाषा शिक्षा का माध्यम।
3- शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता व क्षेत्र के आधार पर।
4- जीविकोपार्जन के लिये शिक्षा दी जाये।
5- शिल्प शिक्षा में आर्थिक, सामाजिक, व वैज्ञानिक महत्व दिया जाए।

बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्तः-

1- शिक्षा को अनिवार्य व निशुल्क बनाने का सिद्धान्त - 7 to 14 आयु
2- सत्य, अहिंसा व सर्वोदय
3- शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धान्त
4- हस्तकौशल को केन्द्रित का सिद्धान्त
5- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा।

बेसिक शिक्षा के उद्देश्य:-

1- शारीरिक एवं मानसिक विकास-
2- सर्वोदय समाज की स्थापना -
3- चारित्रिक व नैतिक विकास-
4- सांस्कृतिक विकास -
5- व्यावसायिक विकास -
6- नागरिकता का विकास-
7- आध्यात्मिक विकास -

MANAGEMENT & TECHNO... BULANDSHAHR

बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या:-

1- हस्तकौशल एवं उद्योग - कताई, बुनाई, कृषि, काष्ठ कला, बागवानी, चर्मकार्य, पुस्तक कला, मिट्टी का काम और मछली पालन आदि।
2- मातृभाषा - "
3- हिन्दुस्तानी (हिन्दी) - इनके लिये जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है।
4- व्यवहारिक गणित - नाप तौल, अंकगणित, बीज गणित व रेखागणित।
5- सामाजिक विषय - इति, भूगो, ना शास्त्र, सामाजिक अध्ययन।
6- संगीत -
7- चित्रकला -
8- सा० विज्ञान - प्रकृति निरीक्षण, बागवानी, वनस्पति वि०, प्राणी वि०, रसा वि० भौतिक विज्ञान, गृह विज्ञान,
9- स्वास्थ्य विज्ञान - सफाई, व्यायाम, खेलकूद।
10- आचरण शिक्षा - नै० शिक्षा, सामाजिक व राष्ट्रीय उत्सव मनाना व समाज सेवाकार्य।

बेसिक शिक्षा की शिक्षण विधि :=

1- क्रिया एवं अनुभवों को महत्व व सा०कार्यों में भाग के अवसर।
2- विषयों एवं क्रियाओं का सम्बन्धित करके पढाना। "सहसम्बन्ध विधि" कहा जाता
3- बे० शि० मे मातृभाषा का ज्ञान स्वाभिक। पहले मौखिक बाद में लिखित।
4- छात्रो को आत्माभिव्यक्ति के स्वतन्त्र अवसर देना।
5- वास्तविक क्रियाओ से वास्तविक ज्ञान कराना।

धार्मिक व नैतिक शिक्षा := धार्मिक शिक्षा के स्थान पर नै० शिक्षा की व्यवस्था।

बेसिक शि० में शिक्षक := "जाकिर हुसैन समिति" के अनुसार प्रा० स्तर पर पुरुष की अपेक्षा महिला शिक्षिका को वरीयता दी जाए। कम से कम मैट्रिक पास तथा शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त हो।

बेसिक शिक्षको का प्रशिक्षण :=
1- 3 वर्षीय प्रशिक्षण की व्यवस्था।
2- 1 वर्षीय " " "

बेसिक शिक्षा के दोष :=

1- अपूर्ण योजना –
2- कच्चे माल की बरबादी –
3- धार्मिक शिक्षा अभाव –
4- श्रृखंलाबद्ध शिक्षण असम्भव –
5- उच्च शि० से सम्बन्ध का अभाव –
6- नागरीय क्षेत्रों के लिये अनुपयुक्त –
7- हस्तकौशलो पर अधिक बल –
8- समय व शक्ति का अपव्यय –

MANAGEMENT ... BUDANSHAHR

बेसिक शिक्षा के गुण :=

1- आत्मनिर्भर योजना –
2- वास्तविक जीवन की तैयारी –
3- वर्ग भेद की समाप्ति –
4- क्रिया प्रधान शिक्षा विधि –
5- मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल –
6- भारतीय के लिये आधारभूत पाठ्यचर्या –
7- शारि० व मानसिक श्रम के अन्तर की समाप्ति –
8- विद्यालय व समाज में निकट सम्बन्ध –
9- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा।

बेसिक शिक्षा का प्रभाव := सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर प्रदेश में परन्तु उपयोग में नाम मात्र। बेसिक पाठ्यचर्या, क्राफ्टों की शिक्षण व्यवस्था मे कमी।

उपसंहार := केवल कच्चे माल की बरबादी, वर्ग भेद को बढावा, परन्तु मातृ-भाषा माध्यम से शिक्षा व क्रिया द्वारा शिक्षा उपयोगी है।

* विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग :- 1948-49 या राधाकृष्णनन कमीशन

* 1935-55 के बीच विश्वविद्यालय के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। बहुत से नये विश्वविद्यालय खुले तथा उनमे विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् तो विश्वविद्यालय शिक्षा का और भी अधिक विकास हुआ देश के विभाजन के पश्चात् भारत में 19 विश्वविद्यालय रह गये थे। परन्तु उसके पश्चात 14 विश्वविद्यालय और खोले गये थे।

1948 में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ। उसमे देश की नई मांगों तथा शिक्षा के दोषों पर प्रकाश डाला गया। नई मांगो के अनुकूल शिक्षा को किस प्रकार बदला जाये इस पर भी प्रकाश डाला गया। और निरीक्षण के लिए एक नये कमीशन की नियुक्ति की जाये।

भारत सरकार ने 1948 में डा० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ती की। इस कमीशन को उच्च शिक्षा की जांच करने तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया। कमीशन ने दिसम्बर 1948 में अपना काम आरम्भ कर दिया। अगस्त 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की -

* कमीशन में अध्यक्ष डा० राधाकृष्णन व अन्य 9 सदस्य थे।
* कमीशन का कार्य क्षेत्र :- ० भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा तथा खोजकार्यों का उद्देश्य।
  - ० भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन, नियंत्रण, आदि कार्यक्षेत्र तथा विधान में जो परिवर्तन आवश्यक है। और उनके केन्द्रीय तथा प्रान्तों की सरकारों के साथ जो पारस्परिक सम्पर्क होने चाहिए।
  - ० विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में सिफारिशें करना।
  - ० विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम पर विचार करना।
  - ० शिक्षण तथा परीक्षाओं के मानदण्ड को उच्च बनाना।
* आयोग की सिफारिशें :- उच्च शिक्षा का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिस पर इस रिपोर्ट में प्रकाश न डाला गया हो।

* विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य :-

शिक्षा का प्रसार, ज्ञान की निरन्तर खोज, मानव जीवन का सही अर्थ खोज निकालना, रोजगारों की व्यवस्था करना तथा समाज की व्यवस्था संबंधी मांगों की पूर्ति करना उच्च शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं।

* व्यावसायिक शिक्षा
    - कृषि, वाणिज्य, शिक्षण, इन्जीनियरिंग तथा तकनीकी शिक्षा।
    - वकालात Law, डाक्टरी, प्रशिक्षण, अनुसंधान,

* अध्यापक मंडल – अध्यापक के सम्बन्ध में रिपोर्ट –
    - अध्यापक के महत्व तथा उसके उत्तर दायित्व को मान्यता प्रदान की जाये।
    - अध्यापक के चार वर्ग – प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, तथा इन्सट्रक्टर और कुछ रिसर्च फैलो भी होने चाहिए।
    - विश्वविद्यालय के अध्यापको का वेतन का सही क्रम व पदोन्नत केवल योजना के आधार पर हो।

* शिक्षण का मानदंड
    - विश्वविद्यालय में प्रवेश 12 कक्षा के बाद होना चाहिये।
    - कक्षा 10, 10+2 के बाद व्यावसायिक तथा तकनीकी स्कूलो की व्यवस्था होनी चाहिये।
    - परीक्षा के दिनो को छोड़ कर शेष काम के दिनो की संख्या ~~कों~~ वर्ष में 180 से कम नही होनी चाहिये।
    - किसी भी कक्षा के लिये कोई ~~स्वीह~~ स्वीकृत तथा निश्चित पाठ्यक्रम नही होना चाहिये।

* पाठ्यक्रम
    - शिक्षा प्रारम्भ होने से पहले भगवान की प्रार्थना तथा कुछ क्षण मौन ध्यान साधना होनी चाहिए।
    - विश्वविद्यालय की कक्षाओ में महापुरुषो व धर्मगुरुओ को पढ़ाया जाना चाहिये।
    - दूसरे वर्ष मे विश्व की धार्मिक पुस्तकों के वे भाग जो सर्व धर्मो में एक से हैं, विद्यार्थियो को पढ़ाये जाने चाहिये।
    - तीसरे वर्ष में धर्म की आधारभुत दार्शनिक समस्याओं का अध्ययन कराया जा सके।

* शिक्षा का माध्यम
    - राष्ट्रभाषा का प्रयोग किये जाये।
    - उच्च शिक्षा का माध्यम धीरे-2 अंग्रेजी को हटाकर भारतीय भाषा किये जाये।
    - शिक्षा मे तीन भाषाओ को पढ़ाया जाये – क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, तथा अंग्रेजी।

* माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 (मुदालियर कमीशन)

मुदालियर कमीशन आवश्यकता तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा पद्धति की पूर्ण रूप से जाँच करें और तत्संबन्धी सुधार के सुझाव प्रस्तुत करे। क्योंकि तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा केवल एकमार्गी तथा ज्ञानप्रधान बन चुकी थी।

* भारतीय सरकार ने 23 सितम्बर, 1952 को एक कमीशन की नियुक्ती की जिसके अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर नियुक्त किये गये। इसीलिये इसे मुदालियर कमीशन भी कहाँ। जिसमे 9 अन्य सदस्य थे।

* आयोग के उद्देश्य :— ० भारतीय माध्यमिक शिक्षा के सब अंगों का अध्ययन करके उसके पुनर्संगठन तथा सुधारों पर सुझाव देना।

० भारतीय माध्यमिक शिक्षा की तत्कालीन स्थिति का अध्ययन करके उसके सब अंगो पर प्रकाश डालना।

* आयोग की मुख्य सिफारिशें →

* माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य : धर्म-निरपेक्ष गणतन्त्र की स्थापना उसका परम उद्देश्य है। देश की आर्थिक को दृढ बनाना अत्यन्त आवश्यक है। नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास शिक्षा का महान उद्देश्य है।

* माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन :

० शिक्षा की अवधि 7 वर्ष होनी चाहिए। 11 से 17 वर्ष आयु के छात्र व छात्रों को दी जानी चाहिये।
० माध्यमिक शिक्षा - 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा 4 वर्ष तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा।
० डिग्री कोर्स 3 वर्ष का कर दिया जाना चाहिये।
० बहुउद्देशीय कॉलेज/स्कूलो की स्थापना की जानी चाहिए।
० ग्रामीण विद्यालयों में कृषि, पशुपालन एंव कुटीर उद्योगो की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये।
० अन्धे, बधिर और मूक व्यक्तियों की शिक्षा के लिये विद्यालयों का प्रबन्ध किया जाये।

* टेक्निकल शिक्षा :

* मातृभाषा :— ० माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषायें हो।
० मिडिल स्कूलो में प्रत्येक छात्र कम से कम दो भाषा का ज्ञान प्राप्त करे।

* पाठ्यक्रम : भाषायें, समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला तथा गायन, क्राफ्ट, शारीरिक शिक्षा, - मिडिल स्कूलो में

* हायर सेकेंडरी स्तर – भाषायें, सामान्य विज्ञान, समाज विज्ञान, हस्तकला, आदि।
* मानव विज्ञान, विज्ञान, टेक्निकल विषय, वाणिज्य, कृषि विज्ञान, आदि।

* शिक्षण विधियां – क्रियाशीलता-सिद्धांत, योजना प्रणाली, स्वयं अध्ययन, स्वयं प्रवृत्ति के द्वारा ज्ञानार्जन।

* पाठ्य-पुस्तकें – उच्चस्तरीय पाठ्य-पुस्तक समिति का गठन; पाठ्य पुस्तकों में जल्दी-2 परिवर्तन की समाप्ति हो। पुस्तक लेखन कार्य विद्वानों के द्वारा हो।

* धार्मिक शिक्षा – ◦ धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है।
◦ विद्यालय में शिक्षण से पहले या बाद में दी जानी चाहिए।
◦ अभिभावकों की अनुमति लेनी चाहिए धार्मिक शिक्षा के लिए। बाध्य नहीं करना चाहिये।

* चरित्र निर्माण की शिक्षा – विद्यालयों में पाठ्यसहगामी क्रियाओं को शिक्षा का होना चाहिये।
* मार्गदर्शन एवं परामर्श –
* शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा –
* परीक्षायें एवं मूल्यांकन – वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वर्ष के अन्त में बाह्य परीक्षा, छात्रों का मूल्यांकन करते समय आन्तरिक परीक्षा का महत्व हो।

* अध्यापकों की स्थिति में सुधार –
◦ देश में शिक्षकों की नियुक्ती में समान प्रक्रिया
◦ वर्तमानों में सुधार लाने में विशिष्ट समितियों का गठन।

* अध्यापक प्रशिक्षण – उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष है
◦ स्नातकों हेतु प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष हो।
◦ छात्राध्यापकों हेतु अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के प्रशिक्षण की सुविधा।

BULANDSHAHR MANAGEMENT & TECHNOLOGY

* भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 या कोठारी कमीशन

* आयोग का गठन- भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 ई० को अपने 'प्रस्ताव' में नवीन शिक्षा आयोग की नियुक्ति के कारणों का स्पष्टीकरण किया और उसी 'प्रस्ताव' द्वारा 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के प्रो० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय-शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की आयोग का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1964 को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ।

भारत के राष्ट्रपति ने "मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा के समस्त पहलुओं - प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय और टेक्निकल की जाँच करके ऐसे सुझाव दे जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों पर उन्नति करने में सहायता प्राप्त हो।"

* आयोग की जाँच के विषय:- आयोग को चिकित्सा अथवा कानून की शिक्षा की समस्याओं की जाँच करने की आवश्यकता नहीं थी परन्तु वह इन समस्याओं के उन पक्षों की जाँच कर सकता है जो व्यापक जाँच की दृष्टि से आवश्यक हो।

* आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव:-
  - शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य
  - शिक्षा की संरचना
  - अध्यापकों की दशा
  - अध्यापक प्रशिक्षण
  - नामांकन तथा मानवशक्ति
  - शैक्षिक समानता
  - स्कूल शिक्षा का विस्तार
  - स्कूल पाठ्यक्रम
  - स्कूल शिक्षा पद्धति
  - स्कूल निरीक्षण
  - उच्च शिक्षा के उद्देश्य
  - उच्च शिक्षा में प्रवेश व कार्यक्रम
  - विद्यालयों की व्यवस्था
  - कृषि शिक्षा
  - व्यावसायिक, तकनीकी तथा इंजीनियरिंग शिक्षा।

MANAGEMENT & TECHNOLOGY BULANDSHAHR

* शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य/उद्देश्य – कोठारी आयोग ने पंचमुखी कार्यक्रम का विचार प्रस्तुत किया –
  - शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि
  - शिक्षा के द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास
  - शिक्षा द्वारा लोकतन्त्र की सुदृढता
  - शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी
  - सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र का निर्माण।

* शिक्षा एवं उत्पादकता –
  - विज्ञान का प्रयोग कृषि और उत्पादन के कार्यों हेतु किया जाना चाहिए।
  - कार्य-अनुभव को संपूर्ण शिक्षा का अंग बनाया जाना चाहिये।
  - माध्यमिक शिक्षा का माध्यम व्यावसायिक रूप होना चाहिये।
* सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता –
* शिक्षा का आधुनिकीकरण
* सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास

* शिक्षा की संरचना एवं स्तर –
  - विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना
  - संरचना संबंधी सुझाव
  - उच्च शिक्षा की नवीन संरचना
  - स्तरों का उन्नयन

* अध्यापक शिक्षा –
  - अध्यापक शिक्षा के दोष
  - अध्यापक शिक्षा की पृथकता का अन्त
  - व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति
  - प्रशिक्षण की अवधि
  - प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नति

* उच्च शिक्षा –
  - विश्वविद्यालयों के लक्ष्य
  - नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना
  - वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का विकास
  - महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में सुधार।
  - शिक्षण में सुधार, मूल्यांकन में सुधार

BULANDSHAHR ... MANAGEMENT & TECHNOLOGY

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या नई शिक्षा नीति

* देश के पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) ने पहली बार विचार किया और 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित की जनवरी 1985 में भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गाँधी द्वारा घोषणा की गई। उसी समय इसका घोषणा पत्र A Policy Perspective पत्र प्रकाशित किया गया था।
* मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया था।

* उद्देश्य - ० जाति, धर्म, लिंग, व निवास के आधार पर भेद किए बिना एक निश्चित स्तर तक सभी तुलनात्मक गुणवत्ता के साथ शिक्षा प्रदान की जा सके।
  - ० शिक्षा में व्याप्त कमीयो को दूर किया जा सके।
  - ० देश की वर्तमान व भावी राष्ट्रीय आवश्यकताओ के अनुसार शिक्षा का स्वरुप तैयार किया जा सके।
  - ० शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। भारत में एक समान शिक्षा।

* राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएँ सिफारिशे →

- ० राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए - 10+2+3 शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है — 5 वर्ष प्राथमिक शिक्षा - 1-5 कक्षा
  3 वर्ष उच्च प्राथमिक शिक्षा - 6-8 कक्षा
  2 वर्ष माध्यमिक शिक्षा - 9-10 कक्षा
  2 वर्ष उच्च माध्यमिक शिक्षा - 10-12 कक्षा
  3 वर्ष प्रथम उपाधि (विश्वविद्यालय शिक्षा)

MANAGEMENT & TECHNOLOGY

- ० विद्यालय स्तर की 10 वर्षीय शिक्षा का पाठ्यक्रम सारे देश में समानता के आधार पर लागू होगा, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है।
- ० देश के नागरिको को देश के मूल्य - स्वतंत्रता, अंखडता, लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष आदि जैसे - तथ्यो का विकास करना है।
- ० शिक्षा के क्षेत्र में उच्चशिक्षा व तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।

* विश्व विद्यालय अनुदान आयोग 1956 UGC
* अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् 1945 AITEC
* भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद iARC
* भारतीय चिकित्सा परिषद IMC -

उच्च शिक्षा के लिए सभी संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।

- नवीन शिक्षा नीति के अन्तर्गत समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है -

  महिलाएँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, शारीरिक विकलांगता, अल्पसंख्यक को।

* मई 1990 आचार्य राममूर्ति समिति :-

आचार्य राममूर्ति ने अपनी रिपोर्ट 26 दिसम्बर 1990 में प्रस्तुत की उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इसके अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति थे

* समिति का शीर्षक :- "प्रबुद्ध व मानवीय समाज की ओर"
* समिति का उद्देश्य :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना।
* समिति के सुझाव :-
  - पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए
  - प्राथमिक शिक्षा के लिए
  - माध्यमिक शिक्षा हेतु
  - उच्च शिक्षा हेतु, तकनीकी शिक्षा हेतु
  - व्यवसाय शिक्षा हेतु, प्रौढ शिक्षा हेतु
* AICTE को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

* पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए सुझाव :- NPF 1986 के तहत शिशुओं की देखभाल व शिक्षा के लिए गति मंद है। सुझाव - 3-6 वर्ष के बालक/बालिकाओं के आंगनबाड़ी के माध्यम से उनकी देखभाल व शिक्षा के लिए व्यवस्था की जाये।

* प्राथमिक शिक्षा के लिए सुझाव :- प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत नामांकन शत प्रतिशत सफलता के लिए ब्लैक बोर्ड योजना 1987-88 का क्रियान्वयन उचित ढंग व सही गति से किए जाए व प्राथमिक शिक्षा को मूल्यपरक शिक्षा बनाया जाए।

* माध्यमिक शिक्षा संबधी सुझाव :-

- इस स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाये।
- सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को ईमानदारी से लागू किया जाए व शिक्षा मूल्यपरक होनी चाहिए।

* उच्च शिक्षा संबधी सुझाव :- NPE 1986 में उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु विश्वविद्यालयो की स्थापना की बात कही गई थी और 1985 में इंदिरा गाधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई. उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए प्रवेश पर नियंत्रण की बात की गई थी। वह नही किया गया। शिक्षको के कार्यों का मूल्यांकन भी औपचारिकता तक सीमित रहा ना ही उच्च शिक्षा संस्थानो को अधिक आर्थिक सहायता देने के वादे को पुरा किया गया।

* पुनर्संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 या जनार्दन रामरेड्डी समिति

* केन्द्रिय शिक्षा सलाहकार बोर्ड | कार्य योजन का गठन 22 जनवरी 1992 मे हुआ अध्यक्ष - तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन. जनार्दन रामरेड्डी थे।
* उद्देश्य - आचार्य राममूर्ति के द्वारा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने व लागू करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किये -

* संशोधित कार्य योजन - 1992 (Revised Policy)

- नारी समानता के लिए शिक्षा।
- अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गों की शिक्षा।
- अल्प संख्यको की शिक्षा।
- विकलांगो की शिक्षा।
- प्रौढ एवं सतत शिक्षा।
- पूर्व बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा
- प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नवोदय विद्यालय
- व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा
- मुक्त शिक्षा, उपाधि तथा रोजगार, ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा संस्थान
- अनुसंधान एवं विकास, भाषा विकास,

* भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के सन्दर्भ में भारतीय शिक्षा नीति का पुनरावलोकन —

* वैश्वीकरण का अर्थ :— वैश्वीकरण शब्द 'विश्व' से बना है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी विषय, समय या घटना को क्षेत्रीय अथवा किसी देश की चारदीवारी से निकालकर सम्पूर्ण जगत के संदर्भ में देखते है। चैम्बर शब्दकोश के अनुसार — "वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक अर्थात विश्वव्यापी बना देना या सम्पूर्ण विश्व अथवा सभी लोगों को प्रभावित करना।"

* वैश्वीकरण की आवश्यकता :— आधुनिक समाज बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है। तथा दिन प्रति दिन तकनीकी का विकास हो रहा है। और लोग अधिक जागरूक हो रहे है। इसलिए एक साधारण तथा खुशहाल जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। कुछ विशेष तत्व ऐसे है, जिन्होंने आज के प्रतियोगी समाज में हमे विश्व रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया है।

- जनसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी ने लोगो तथा राष्ट्रों को एक दूसरे के समीप ला खड़ा किया है तथा बन्धुत्व की भावना विकसित हो गई है।
- उपभोक्ता वस्तुओ में काफी हद तक समानता पाई जाती है।
- विभिन्न देशो के बीच जनशक्ति बहुत अधिक तथा तीव्रता से परिचलन हो रहा है।

आर्थिक क्षेत्र में
↑
शिक्षा क्षेत्र में ← वैश्वीकरण का प्रभाव → कृषि क्षेत्र में
↓
सेवा क्षेत्र। संस्कृति में

* शिक्षा का वैश्वीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1991-1996 - सूचना तथा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप मानवीय कार्य विश्व स्तरीय हो गए तथा शिक्षा के साथ-2 प्रत्येक क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा। शिक्षा पर विचार करने के लिए 1991 में यूनेस्को ने जैक्स डेलर की अध्यक्षता में एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया।

MANAGEMENT & TECHNOLOGY BULANDSHAHR

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005-
National Curriculum Framework 2005- NCF
यशपाल समिति - 2005

* राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 चौथा संस्करण था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का जिसका प्रकाशन NCERT द्वारा किया गया था।
* NCF 2005 से पहले भी पाठ्यचर्या की रूपरेखा तीन बार 1975, 1988, 2000 में प्रकाशित हो चुकी थी।
* NCF 2005 पाठ्यक्रम के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है।
* NCF 2005 ने शिक्षा को पिछली रिपोर्टों जैसे लर्निंग विद आउट बर्डन उच्च शिक्षा नीति (HPE) 1986 फोकस ग्रुप डिस्कशन आदि पर आधारित है।
* NCF 2005 में बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाये इस बात पर ध्यान दिया जाता है।
* NCF की रूपरेखा का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध 'सभ्यता व प्रगति' से हुआ है। जिसमें बताया कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है।
* NCF 2005 का अनुवाद संविधान की 8वी अनुसूची मे दी गई सभी भाषाओं 22 में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा की अबतक का नवीनतम दस्तावेज है।
* NCF 2005 समिति का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) की पहल पर प्रो॰ यशपाल की अध्यक्षता में हुई थी।

NCF 2005 के पाँच सिद्धान्त या मार्गदर्शक सिद्धान्त ↘
↳ ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना।
↳ पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो।
↳ पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक केन्द्रित न रह जाए।
↳ राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो।
↳ राष्ट्रीय महत्व के बिन्दुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाये।

* NCF 2005 के सम्बंध में महत्वपूर्ण तथ्य ঃ-
↳ ज्ञान व जीवन के बीच की दूरी को कम करना था।
↳ NCF 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया जिससे रटने की प्रक्रिया कम हो।
↳ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बालकेन्द्रित हो ऐसी विषय सामग्री का प्रयोग किया जाये।
↳ NCF का निर्माण NCERT द्वारा किया गया था मुख्य लक्ष्य आत्म ज्ञान देना था।
↳ NCF 2005 में हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता व कौशलों को व्यक्त करने का मौका देना चाहिए।

* NCF 2005 की विशेषताएँ —
  - प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा हो।
  - ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त का अधिकतम प्रयोग हो।
  - मूल्यों का उपदेश ना देकर वातावरण स्थापित किया जाये।
  - अच्छा विद्यार्थी उसे माना जाए जो तर्कपूर्ण विचार द्वारा मौलिक विचार प्रस्तुत करे।
  - सजा/दण्ड व पुरस्कार भावना को सीमित किया जाए।
  - मानसिक स्तर व योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम हो।

* निष्कर्ष:— NCF 2005 में सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति बताया गया है। NCF की कार्यशाला का आयोजन NCERT नई दिल्ली में किया गया।

* राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (National Knowledge Commission - N.K.C)

* राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 में हुई।
* 2 Oct 2005 से 2 Oct 2008 तक तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया।
* प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित उच्चस्तरीय सलाहकार संस्था है।
* इसका काम नीति निर्देशन तथा सुधारों की दिशा तय करना है।
* शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि उद्योग, E प्रशासन आदि क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करना है।
* ज्ञान को सुलभ बनाना, ज्ञान व्यवस्थाओं की रचनाओं की और उनका संरक्षण, ज्ञान तथा बेहतर ज्ञान सेवाओं का फैलाव इस आयोग के लिए मुख्य चिन्ता के विषय है।

BULANDSHAHR

* विचारणीय विषय:—
  - शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता लाना ताकि वह 21वी शताब्दी में ज्ञान की चुनौतियों का सामना कर सके।
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान की रचना को बढ़ावा देना।
  - खेती और उद्योग में ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा देना।

* उद्देश्य— अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाये।

- उद्योग और कृषि जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के ज्ञान का आसानी से प्रयोग किया जा सके।
- दुनियाभर में ज्ञान प्रणालियों के बीच संपर्क और आदान प्रदान का को स्थापित किया जा सके।

- उच्च शिक्षा में— • उच्च शिक्षा का मतलब सेकेंडरी स्कूल से आगे की पढ़ाई है।

उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक संख्या में 2015 तक 15% तक छात्र संख्या बढ़ाना होगा।

- गुणवत्ता को कम किये बिना यह दायरा बढ़ाना होगा साथ ही शिक्षा के स्तर को भी उठाना होगा।
- उच्च शिक्षा को समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाना होगा।

* राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश:—

- अधिक से अधिक विद्यालयों की स्थापना करना शामिल है। 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिये तभी भारत 2015 तक कम से कम 15% का सकल भर्ती अनुपात हासिल कर सकेगा।
- 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होना या तो सरकार स्थापित करे या फिर कोई निजी प्रयोजक संस्था कोई सोसाइटी परोपकारी ट्रस्ट या धारा-25 के अन्तर्गत कम्पनी बना कर यह काम कर सकती है।
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाये। इसके लिए जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए छात्रवृत्तियों की व्यापकता की जरूरत होगी।
- शिक्षा में सेमेस्टर की व्यवस्था हो और हर कोर्स के अन्त में शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेगें।
- एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को अंकों का हस्तांतरण करना संभव हो सकेगा इन राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की दक्षता को अधिकतम स्तर पर लाने के लिए नियुक्ति और प्रोत्साहनों की उपयुक्त व्यवस्था की आवश्यकता है।

* उच्च शिक्षा में बदलाव लाने के लिए मौजुदा संस्थानो में सुधार करना आवश्यक है:-

- विश्वविद्यालयों में प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार अपने पाठ क्रम में संशोधन और फेर बदल करना जरूरी है।
- अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- सरकार को कुलपतियो की नियुक्ती में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दखल देना बन्द करना चाहिये।
- आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से कम साधन संपन्न विद्यार्थियो के लिए शिक्षा की सुलभता (आसान) और अधिक बढ़ायी जाये।

BULANDSHAHR MANAGEMENT & TECHNOLOGY

Unit-4th

प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण
[Universalization of Elementary Education]

* प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ := [सार्वजनीकरण तथा लोकव्यापीकरण]

भारत में अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है —

1- शत प्रतिशत सुविधा = 6-14 (कक्षा 1-8 तक) की शिक्षा बच्चों को सुलभ कराना।

2- शत प्रतिशत नामांकन = 6-14 आयु (1-8 तक कक्षा) बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन।

3- शत प्रतिशत धारण = शत प्रतिशत बच्चों को विद्यालय में रोके रखना, बीच में विद्यालय छोड़कर न जाने देना।

4- शत प्रतिशत सफलता := शत प्रतिशत बच्चों को कक्षा 8 उत्तीर्ण कराना।

प्रा० शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अन्तर्गत निम्नलिखित युक्तियाँ

1- सर्वव्यापक नामांकन, 2- सर्वव्यापक छात्र रूकावट, 3- सर्वव्यापक स्कूली व्यवस्था।
Universal Enrolment, " Retention, " provision for schooling

* सार्वभौमिकता के मार्ग में बाधायें [Obstacles in the Way of Universalization]

1- नियोजन की समस्या -
2- जनसंख्या में वृद्धि -
3- सामाजिक कुरीतियाँ -
4- अनुपयुक्त पाठ्यक्रम -
5- सुविधाओं की कमी -
6- संसाधनों की कमी -
7- शासकीय नीति - अव्यवहारिक
8- भाषा के माध्यम की समस्या
9- प्राकृतिक बाधायें
10- योग्य शिक्षकों की कमी
11- अपव्यय व अवरोधन

* शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने सम्बन्धी सुझाव [Suggestions]

1- माता-पिता की शिक्षा -
2- जनसंख्या पर नियन्त्रण -
3- आर्थिक दशा में सुधार -
4- प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार -
5- शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था -
6- पारी-विधि को अपनाना -
7- विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना -
8- पाठ्यक्रम में संशोधन -
9- शिक्षा नीति में सुधार -
10 पंचवर्षीय योजनाओं में सुधार -

प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन :=

[Wastage and Stagnation Elementary Education Stage]

अपव्यय [Wastage] := अपव्यय से तात्पर्य, बच्चों का प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही किसी कक्षा में स्कूल से हटा लेने से है।

[Hartag Kamete]

अवरोधन : [Stagnation] "स्थिरता का अर्थ बालक का एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक रुक जाना है।"

[Hartag Report]

* अपव्यय के कारण :=

1- शैक्षिक कारण -
2- आर्थिक कारण -
3 सामाजिक व पारिवारिक कारण -
4. प्रशासनिक कारण -

* अवरोधन के कारण :=

1- अनुपयुक्त पाठ्यक्रम -
2- शिक्षण पद्धति का दोष -
3 - अस्वस्थ वातावरण -
4- दोषपूर्ण परिक्षा प्रणाली -
5 - अनियमित उपस्थिति -
6- अन्य कारण - बुरा स्वास्थ्य, अस्पृश्यता, स्कूल का घर से दूर होना, दण्ड व्यवस्था, आदि।

* अपव्यय व अवरोधन की समस्या को दूर करने के उपाय

1- प्रा० स्तर पर शिक्षा अनिवार्य व निशुल्क
2- कक्षा 5 तक स्वंय अगली कक्षा में उन्नति की व्यवस्था।
3- स्कूलो में Midday Meal व खेल कूद का उचित प्रबन्ध
4- छात्र व अध्यापक संख्या एक निश्चित अनुपात में।
5. कमजोर छात्रो पर विशेष ध्यान दिया जाये।
6. विद्यालय में स्वस्थ सेवा की उचित व्यवस्था हो।
7. निर्धन बच्चों को दूध, भोजन, कपड़ा तथा पुस्तकें मुफ्त दी जाये।
8. काम के बदले दाम के सिद्धान्त को लागू करना चाहिये।
9. अनिवार्य प्रा० शिक्षा के साथ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार पर बल दिया जाए।

* प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के सुझाव :=

1. अभिभावक शिक्षा के लिये समाज-शिक्षा के प्रसार पर बल।
2. प्रा० शिक्षा प्रसार के लिये राष्ट्र व्यापी आन्दोलन जारी किये जाएँ।
3- पाठ्यक्रम की विविधता तथा व्यावहारिकता पर बल।
4- सरकार द्वारा यातायात, अन्तर्देशीय, आवागमन व संदेश वाहन साधनों में वृद्धि।

सबके लिए शिक्षा और न्यूनतम अधिगम स्तर
[Education for all & Minimum level of learning]
EFA

" प्रत्येक व्यक्ति मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये उपलब्ध कराये जाने वाले शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने में समर्थ होना चाहिये इन आवश्यकताओं में मानव को जीवन जीने, अपनी पूर्ण क्षमताओं का विकास करने, सम्मान पूर्वक जीने व कार्य करने, विकास में पूर्ण सहभागी होने, अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने, उचित निर्णय लेने तथा अधिगम को जारी रखने के योग्य बनाने के लिये आवश्यक, अनिवार्य उपकरण (जैसे साक्षरता, मौखिक, अभिव्यक्ति, अंकज्ञान तथा समस्या समाधान आदि) तथा मूलभूत अधिगम पाठ्यवस्तु (जैसे ज्ञान, कौशल, मूल्य व दृष्टिकोण) समाहित है।

" सबके लिये शिक्षा "अभियान के मुख्य लक्ष्य :- [Goals]

1- प्रा शिक्षा का सार्वभौमिकरण -
2- शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास -
3- नारी समानता के एक साधन के रूप में शिक्षा का उपयोग -
4- निरक्षरता में कमी
5- शिक्षा की पाठ्यवस्तु एवं प्रक्रिया में सुधार

सभी के लिये शिक्षा को एक आन्दोलन के रूप में चलाकर आधारभूत सामान्य शिक्षा प्रसार के लिये निम्नलिखित योजनाये चलायी है

1- जिला प्राथमिक शिक्षा [DPEP] - 1994 मे शुरू | वर्तमान मे SSA के घटक के रूप मे
2- मध्याह्न भोजन योजना [Midday Meal] - 15 अगस्त 1995 को शुरु | 2007 में SSA के घटक के रूप में 150gm गेहूँ व चावल दाल, कढ़ी अथवा सब्जी दी जाती है।
3- सर्व शिक्षा अभियान [SSA] - Jan 2001 मे शुरू | प्रा० शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना | व उसकी गुणवत्ता बढ़ाना |
4- शिक्षा गारन्टी योजना [EGSAIE] - April I 2001, 1975 शुरु हुई | 2001 से SSA के घटक रूप में | 25 बच्चे होने पर शिक्षा गारंटी योजना स्थापित किया जा रहा है। 2009 के अनुसार ये प्रा० विद्यालय में बदल जायेंगे |
5- कस्तूरबा गाँधी बालिका वि० योजना [KGBVS] - July 2004 मे शुरु हुई | 2007 में से SSA से जोड़ दिया गया | 2014-15 तक 3593 KGBVS स्थापित हो चुके थे |

* EFA की विशेषतायें :-

1- 14 वर्ष की आयु के बच्चो को प्रारम्भिक शिक्षा देना |
2- 15-35 आयु वर्ग की निरक्षरता को कम करना [22]
3- औपचारिक व अनौपचारिक कार्यक्रम, सार्वभौमिक भागीदारी

न्यूनतम अधिगम स्तर
[Minimum level of learning] MLL

न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ := किसी स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अधिगमकर्ताओं के अधिगम (ज्ञान, भावना, कौशल) में कम से इतनी वृद्धि तो होनी चाहिए। [10 वर्षीय शिक्षा की प्रत्येक कक्षा]

* MLL का सम्प्रत्यय [Concept]

1- MLL को प्रत्याशित अधिगम प्रतिफलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
2- MLL की सात्विक निरीक्षित व्यवहारों के रूप मे देखा जा सकता है।
3- MLL की विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित परिणाम है – जैसे ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण आदि।

* MLLs को निर्धारित करने की आवश्यकता :-

1- सही दशा प्रदान करने में
2- सम्पूर्ण प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने को
3- प्रगति का आकलन करने के लिए।
4- स्कूलों में छात्रों की रूपरेखा तैयार करने हेतु प्रभावी उपकरण उपलब्ध।
5- न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करना ही चाहिये।

* सर्व शिक्षा अभियान
[Serva Shiksha Abhiyan] [SSA]

नवम्बर, 2000 मे सर्व शिक्षा अभियान [SSA] मंजूर किया गया तथा जनवरी, 2001 मे इसे शुरू किया गया।

SSA के उद्देश्य := [2016-17] व किये जा रहे कार्य

1- प्रा० शिक्षा की शत प्रतिशत सुविधा (Access)
2- " " " " नामांकन (Enrolement)
3- " " " " धारणा (Retention)
4- " " " " सफलता (Success)
5- " " " गुणवत्तापरक शिक्षा (Quality Education)

TECHNOLOGY ... SULANDSHAHR ... MANAGEMENT & TECHNOLOGY

* सर्व शिक्षा अभियान की वित्त व्यवस्था=

1- 1997-2002 में केन्द्र व प्रान्तीय सरकारें 18:15 में वहन किया।
2- 2002-2007 " " " 75:25 " "
3- 2007-2012 " " " 50:50 " "

* सर्व शिक्षा का प्रशासन= केन्द्रिय सरकार प्रस्तावित बजट पास कर अपने हिस्से की धनराशी प्रान्तीय सरकार को ट्रांसफर करती है। प्रान्तीय सरकारे इसमे अपने हिस्से की धनराशी मिलाकर प्रत्येक जिले की "जिला सर्व शिक्षा समिति" को ट्रांसफर करती है।

मध्याह्न भोजन योजना
[Midday Meal Scheme] MMS

मिड डे मिल का अर्थ := यह स्कीम "स्कूल मील प्रोग्राम" के नाम से संचालित है।

MML मे विद्यालय खोले जाने पर कार्य के सभी दिनों में विद्यालयी बच्चों को निशुल्क भोजन की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है।

* मुख्य उद्देश्य [Aim]
1- विद्यालयी छात्रों का भूख से संरक्षण करना।
2- कुपोषण दर घटाना।
3- वि० छात्रों के नामांकन मे वृद्धि करना तथा उपस्थिति में वृद्धि करना।
4- सभी जाति, धर्म, वर्ग के बच्चों का समाजीकरण करना।
5- महिला रोजगार प्रावधान द्वारा सामाजिक शक्ति को सुदृढ़ करना।

* मिड डे मिल योजना की वित्त व्यवस्था :- प्रान्तीय व केन्द्रिय सरकारें 25:75 व्यय। केन्द्रिय सरकार प्रान्तीय सरकार को गेहूँ, चावल व अन्य पौष्टिक पदार्थ। 25 विद्यार्थियों पर एक रसोईया - एक सहायक की नियुक्ति। 26 से 100 विद्यार्थियों के लिये 2 रसोइया एवं 2 सहायकों की नियुक्ति। केन्द्र सरकार व प्रान्तीय सरकार खाद्य पदार्थों के किराये पर होने वाले व्यय के तहत सब्सीडी [Subsidy] देती है।

मध्याह्न भोजना योजना का प्रशासन := जिला स्तर पर जिला मध्याह्न भोजन योजना समितियाँ है। इनके संचालन में समन्वय के लिये समन्वय अधिकारी (District Cordinator) नियुक्त है। स्थानीय निकायों के क्षेत्रों में Midday Meal की व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा होती है। जिला मध्याह्न भोजन समिति, जिला समन्वय अधिकारी, स्थानीय निकाय व स्कूलों की प्रबन्ध समितियाँ एवं प्राधानाचार्य इस योजना के संचालन व निगरानी के लिये उत्तरदायी होते हैं।

* मध्याह्न भोजन योजना का क्षेत्र:-
केवल सरकारी प्राथमिक स्कूल, सभी ब्लाकों में, मकतब, मदरसों में, आर्थिक सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में

* मध्याह्न भोजन योजना का मेन्यू :=
1- प्रा० शिक्षा स्तर 6 से 11 आयु वर्ग के लिये 450 कैलोरी व प्रोटीन 12 ग्रा०। 100 ग्रा० गेहूँ या चावल तथा आवश्यक मात्रा में दाल। [23]

* सर्व शिक्षा अभियान के घटक [components]

1- शिक्षा गारंटी योजना [EGS] - 3- जिला प्रा० शिक्षा कार्यक्रम [DPEP]-
2- ब्लैक बोर्ड योजना [OBB] - 4- मध्याह्न भोजन योजना [MMS]-
5- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना [KGBVS]-

* SSA के क्षेत्र / उपलब्धियाँ

1- 2014-15 तक लगभग 4 लाख नए प्रा० व उच्च प्रा० विद्यालय स्थापित किए।
2- " " " 3593 कस्तूरबा गांधी बालिका वि० स्थापित " "
3- " " " 8 लाख स्कूलों में शौचालयों का निर्माण
4- " " " 2.3 " " " पेय जल की व्यवस्था "
5- " " प्रा० व उच्च प्रा० स्कूलों मे 20 लाख शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए जिनमे से लगभग 15 लाख शिक्षक नियुक्त किए गये।
6- " " " 35 लाख शिक्षकों को पुनर्प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई।
7- वर्तमान में सभी प्रा० वि को 5000 रु तथा उच्च प्रा० स्कूल को 7000 रु प्रति वर्ष स्कूलों के रख रखाव के लिये।
8- 2014-15 तक 716 ब्लाक संसाधन केन्द्रों (BRCs) तथा 75.954 कलस्टर संसाधनो केन्द्रों (CRCs) की स्थापना की गई।

* SSA की कमियाँ (दोष)

1. शिक्षा गारन्टी केन्द्रो द्वारा शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं।
2. KGBVS ने भी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया।
3. पूर्व स्थापित स्कूलों में कमरों व शौचालयों का निर्माण घटिया किस्म का है जो 20 वर्ष तक नहीं चलेगें।
4- शिक्षकों के शिक्षण कौशलो में कोई सुधार नहीं।
5- रखरखाव के 5000 व 7000 Rs का सही ढंग से रख-रखाव नहीं हो पा रहा।
6- Midday Meal मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता की कमी होती रहती है।
7- निशुल्क पाठ्यपुस्तकें सभी स्कूलों में समय पर वितरित नहीं की जाती हैं।
8- Computer शिक्षा के लिये क्रमबद्ध योजना के तहत, जो 50 लाख रु दिये जा रहे हैं उसके प्रयोग के आगे प्रश्नचिन्ह लगे हैं।

अतः अब सरकार को वोट की राजनीती छोड़कर राष्ट्रहित में काम करना चाहिये। ST|SC|अलपसख्यकों की विशेष व्यवस्था का नारा छोड़कर सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ करानी चाहिए। तथा इस मार्ग मे होने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाए।

CHANDSHAH MANAGEMENT & TECHNOLOGY

2- उच्च प्रा० शिक्षा स्तर पर 11 से 14 आयु वर्ग बच्चों के लिए 700 कै तथा प्रोटीन 20 ग्राम | 150 ग्रा गेहूँ या चावल तथा आवश्यक मात्रा में दाल|

सोमवार- रोटी एवं सोयाबीन अथवा दाल की बड़ी युक्त सब्ज़ी |

मंगलवार- चावल एव दाल

बुधवार - तहरी एवं दूध (150 मि०ली० प्रा०स्तर, 200 मि०ली उच्च प्रा० स्तर)

बृहस्पतिवार - रोटी एवं दाल |

शुक्रवार - तहरी   शनिवार - चावल एवं सोयाबीन सब्जी

* मध्याह्न भोजन योजना के गुण :-

1- प्रा० एवं उच्च विद्यालयों में 10.68 करोड़ बच्चे लाभान्वित |
2- दोनों स्तर की शिक्षा पर नामांकन में वृद्धि |
3- प्रा० स्तर पर होने वाले व्यय में कमी |
4- दोनों स्तर पर उपस्थिति में वृद्धि |
5- प्रा० वि में अवरोधन की समस्या घटी है।
6- सभी जाति के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते है| जिससे जातिगत भेद कम होता है तथा भ्रातृत्व बढ़ता है|

मध्याह्न भोजन योजना की कमीयाँ :-

1- समय समय पर घोटाले |
2- ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा लिया जा रहा है परन्तु बच्चों को Midday Meal नही मिल पा रहा|
3- अभिभावक द्वारा मध्याह्न भोजन का बहिष्कार होता है|
4- Midday Meal खाने से बच्चे बीमार होते हैं| कभी भी |
5- रसोई में गन्दगी होने पर खाने में कीड़े-मकोड़े हो जाते हैं|

अतः जरूरी है कि किसी भी प्रकार की भूल के लिये सही जाँच हो तथा दोषी व्यक्तियों का सही पता लगाया जाए और दूसरी आवश्यकता है कि उन्हें कड़ी सजा दी जाए| जब तक दोषियों को दण्ड नहीं जाता तब तक इसकी कमियों को दूर नहीं किया जा सकता

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना [KGBVS]
[Kasturba Gandhi Balika Vidayalaya Scheme]

KGBVS का अर्थ := केन्द्र सरकार ने जौलाई 2004 में यह योजना शुरू की। इसके द्वारा दुष्कर परिस्थियों वाले क्षेत्रों में रहने वाले वंचित वर्ग की बच्चियों के लिये नि:शुल्क आवासीय बालिका उच्च प्रा० विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं।

KGBVS के उद्देश्य :=

1- कमजोर वर्ग की लड़कियों को उच्च प्रा० शिक्षा उपलब्ध कराना।
2- एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले " प्रा० शिक्षा की व्यवस्था करना।
3- विद्यालयी प्रबन्धन एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जानकारी देना।
4- समाज में लड़कियों का साक्षरता प्रतिशत बढ़ाना।

KGBVS की वित्त व्यवस्था := केन्द्र और प्रान्तीय सरकारें 50:50 में व्यय।
केन्द्र शासित व जम्मू कश्मीर प्रान्त में सम्पूर्ण व्यय केन्द्र।

KGBV के प्रकार := माडल प्रथम - 100 बालिकाओं के लिए।
माडल द्वितीय - 50 " "

अनुसूचित; अ० जन जाति, पिछड़ी व अल्पसख्यकों के लिये 75% नामांकन
सामान्य जाति परिवारों के लिये 25% बालिकाओं के नामांकन।

KGBV में बालिकाओं को मिलने वाली सुविधाऐं :=

1. दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुऐं।
2. शैक्षिक सामाग्री
3. शयन सामाग्री
4. खेलकूद सामाग्री
5. छात्रवृत्ति
6. स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाऐं।
7. सुरक्षा व्यवस्था।
8. व्यावसायिक शिक्षा तथा जीवन कौशल का विकास
9. फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था।

BULANDSHAHR MANAGEMENT & TECHNOLOGY

KGBVS का क्षेत्र :-

1- अनु जनजाति, अनु० जाति, पिछड़े व अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक।
2- एक दूसरे क्षेत्र में जाने की सुविधा नहीं।
3- लड़कियों का साक्षरता % बहुत कम।
4- छोटी बस्तियों में लड़कियों की सं० कम होने से वहाँ उच्च प्रा० विद्यालय नहीं खोले जा।

KGBVS की कमियाँ :-

1. 6 माह का ब्रिज कोर्स कराकर सीधे कक्षा 6 में प्रवेश जोकि विचारनीय है।
2. पूर्णकालिक प्रधानाचार्य, शिक्षिकाओं की नियुक्ति संविदा पर 11 माह 29 दिन बाद पुनः नियुक्ति
3. Warden का वेतन 25000/-Rs, Teachers का 10,000/- तथा अ० शिक्षिकाओं का 5000/-
4. शैक्षिक अवसरों की समानता में कमी।

* शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
[Right To Education Act 2009]

RTE का अर्थ :- 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी छात्रों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। सरकारी स्कूलों में सभी को फ्री शिक्षा तथा निजी स्कूल न्यूनतम 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नांमकित करेंगे।

RTE 2009 की मुख्य विशेषाएँ :-

1. 6-14 वर्ग वाले सभी बच्चों को फ्री व अनिवार्य शिक्षा।
2. प्रा० शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जायेगा।
3. 14 साल की उम्र के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
4. शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार।
5. एक निश्चित शिक्षक-छात्र की सिफारिश
6. वित्तीय बोझ राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच साझा किया जाएगा।
7. जम्मू कश्मीर को छोड़कर समूचे देश में लागू होना।
8. स्कूल का बुनियादी ढाँचा 3 वर्षों के भीतर सुधारा जाए अन्यथा रद्द की जाएगी।
9. प्रा० शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

सरकार ने 1st April 2010 में इसे कानून के रूप से लागू किया। इसके मुख्य तत्व [Elements] प्रस्तुत हैं।

1- संक्षिप्त नाम -
2- परिभाषाएं -
3- निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
4- माता-पिता व संरक्षक का कर्त्तव्य
5- प्रवेश के लिये आयु का सबूत
6- शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध -
7- बिना प्रमाणपत्र विद्यालय स्थापन निषेध -
8- विद्यालय के मान व मानक -
9- विद्यालय प्रबन्धन समिति -
10- विद्यालय विकास योजना -
11- छात्र -शिक्षक अनुपात -
12- शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना -
13- प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिबंध -
14- पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया -
15- बालक के शिक्षा के अधिकार को मनीटर करना -
16- शिकायतों को दूर करना।
17- राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन -
18- परिक्षा व समापन प्रमाण-पत्र -
19- निदेश जारी करने की शक्ति -
20- अभियोजन के लिये पूर्व मंजूरी -
21- राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति -
22- राज्य सलाहकार परिषद का गठन -

अतः आवश्यक है कि वोट की राजनीति छोड़कर संविधान की मूल भावना के अनुसार कार्य किये जाएं आज।

Unit-5th

माध्यमिक शिक्षा का प्रसार

Expansion of Secondry Education

माध्यमिक (Secondry) का अर्थ है मध्य [Middle]

Primary ---- ↓ ---- Higher
प्राथमिक 1–8 उच्च 12+
मध्य (Middle)
Secondry 9–12

अत: प्राथमिक तथा उच्च के मध्य की शिक्षा

मुख्य भूमिका माध्यमिक शिक्षा में - वुड घोषणा पत्र 1854 [Wood dispatch]

1- 1882 में ब्रिटेन सरकार ने भारतीय शिक्षा आयोग गठित की।

इसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य –

(a) साहित्यिक (literary) (b) व्यावसायिक (profession)

परन्तु अंग्रेजी शासन काल में माध्यमिक शिक्षा केवल साहित्यिक (literary) ही रही

2- 1952 में केन्द्रिय सरकार ने "माध्यमिक शिक्षा आयोग" का गठन किया।
विविध पाठ्यक्रम का सुझाव दिया। (Diversified course)

3- 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरे देश के लिये 10+2+3 शिक्षा संरचना की घोषणा परन्तु लागू नहीं [not execute]

4- 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2+3 शिक्षा संरचना को लागू करने पर बल।

5-

भारतीय शिक्षा के इतिहास का अध्ययन

Study of Indian Edu's history

- प्राचीन काल Ancient
- मध्य काल Medieval
  - (प्राचीन व मध्य काल) → प्राथमिक, उच्च
- आधुनिक काल Modern
  - 4 उपकाल → मिशनरी काल, ईस्ट इंडिया शासन काल, ब्रिटिश काल, स्वतन्त्र काल

* ईसाई मिशनरी काल में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार

1617 में प्रिगले ने मद्रास में अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना की। जिससे 1715 व 1731 के बीच मुम्बई, मद्रास व कलकत्ता में कई मा० विद्यालय खोले गए।

* ईस्ट इण्डिया काल में [In East India period]

1- कम्पनी कर्मचारियों के बच्चो के लिये मा० वि० की स्थापना
2- ईसाई मिशनरी द्वारा चलाये गए प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को आर्थिक मदद।
3- 1833 मे ब्रिटिश सरकार का नया आदेश पत्र जारी जिसमे 1 लाख धनराशी बढ़ाकर 10 लाख रू प्रति वर्ष कर दी गयी। परन्तु कम्पनी की स्वयं कोई पहल नहीं
4- वुड घोषणा पत्र (1854) के बाद माध्यमिक शिक्षा में तेजी। इसमे मा० शिक्षा हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं, दोनो माध्यमों से चलने वाले विद्यालयो को आर्थिक अनुदान व शर्तें।
5- 1855 तक सभी प्रान्तों में शिक्षा विभाग की स्थापना। सभी स्तर की शिक्षा दी गयी।

* ब्रिटिश शासन काल में [In British parliament period]

1- ब्रिटिश सरकार ने सरकारी व गैरसरकारी संस्थाओं को आर्थिक अनुदान जारी रखा। परिणामस्वरूप 1881-82 तक देश में 3916 मा० विद्यालय स्थापित हुये।
2- भारतीय शिक्षा आयोग (Hunter Commision) 1882 ने सरकार को माध्यमिक स्कूल स्थापित करने को कहा जिले में केवल एक ही हो। तथा अनुदान की शर्तें सरल व उदार हो। परिणामस्वरूप 1901-02 तक संख्या बढ़कर 5124 हो गई
3- 1904 कर्जन शिक्षा नीति ने मा० वि० की मान्यता के नियम कठोर किये जिससे मा० शिक्षा के प्रसार में बाधा हुई।
4- 1905 में राष्ट्रीय आन्दोलन ने मा० राष्ट्रीय विद्यालय जो माध्यमिक स्तर के थे खोले। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती।
5- कलकत्ता वि० विद्यालय आयोग (Sadler Comunission) मा० शिक्षा बोर्ड खोला।
6- 1919 मे Raja Ram Mohan Rai ने 115 मा० विद्यालयों की स्थापना की।
7- 1921 मे मा० स्कूलो की संख्या बढ़कर 7530, 1936-37 में 13056 हो गयी।
8- दीर्घ 40 वर्षीय योजना (Sargent Plan 1944) मे English शिक्षा अनिवार्य की गयी। 1947 में मा० वि० स्वतन्त्रता के बाद 11907 थे, परन्तु छात्रो की संख्या 4 लाख बढ़ गई।
9- कलकत्ता वि० विद्यालय आयोग, 1917 में शिक्षा बोर्ड का गठन करके, उसका (शिक्षा) स्वरूप, उद्देश्य व पाठ्यचर्या निश्चित करने व मा० छात्र-छात्राओं की परिक्षा लेने का कार्य भार सौंपा गया।

* स्वतन्त्र भारत में मा० शिक्षा का प्रसार [In Independent India]

1- प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में शिक्षा पर 153 करोड व्यय किये गये। 20 करोड रू इसमें मा० शिक्षा पर व्यय किये।

वर्तमान में 15-18 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 12 करोड़ है। इनमें से 6 करोड़ बच्चे ही मा० विद्यालयों में नामांकित [enrolled] है।

माध्यमिक शिक्षा प्रसार में बाधाएं

[Barriers in Secondry Education-Expansion]

1- संसाधनों की कमी [lack of Sources]
2- उपलब्ध साधनों का सही प्रयोग न होना [not using the available-resource properly]
3- जन सहयोग की कमी [lack of public co-operation]
4- भौगोलिक परिस्थिति [Geographical location]
5- तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या [Rapidly growing population]

* माध्यमिक शिक्षा की लड़के लड़कियों की पाठ्यचर्या में भिन्नता [Difference between Boys-Girls Curricula of Second Edu]

आज दो विचारधारायें स्त्री शिक्षा के स्वरूप की [Two Views about Women's Education]

रूढ़ीवादी Conservative idealogy
↓
पति, बच्चे व परिवार केवल [Husband, children & Only family]

प्रगतिशील Progressive idealogy
↓
स्त्री / पुरुष दोनों को समान शिक्षा। घर व ऑफिस दोनों के लिये। [Same edu for both & for home & office]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में घोषणा। लड़के - लड़कियों की शिक्षा में कोई भेद भाव नहीं। 10 वर्ष की आधारभूत पाठ्यचर्या सभी के लिये समान की गयी।

परन्तु कुछ राज्यों ने इस प्रकार की मा० शिक्षा की पाठ्यचर्या इस प्रकार बतायी-

2- दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) शिक्षा पर कुल 273 करोड़ मा० शिक्षा पर 51 करोड़ (मा शिक्षा के प्रसार व उन्नयन पर)

3- तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) में शिक्षा पर 589 करोड़ तथा मा० शिक्षा के प्रसार व उन्नयन पर 103 करोड़ व्यय।

4- चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) शिक्षा पर 786 करोड़ तथा 140 करोड़ रु मा० शिक्षा पर व्यय

5- पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79) में कुल 912 करोड़ के 156 करोड़ रु मा० शिक्षा पर किये गये। CBSE ने 1979 में Open School खोले।

6- छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में 2530 में से 530 करोड़ रु मा० शिक्षा प्रसार पर व्यय

7- सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में कुल 7633 करोड़ रु के 1832 करोड़ मा० शिक्षा के विकास पर व्यय। 1989 में CBSE National Open School खोला। वर्तमान में इसे National Institute of Open Schooling का नाम दिया गया है।

8- आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में शिक्षा पर 19600 करोड़ रु में से 3498 करोड़ मा० शिक्षा पर व्यय किये गये +2 पर व्यावसायिकरण के प्रयास शुरू किए।

9- नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में शिक्षा के लिये 20.3816 करोड़ रुपयों का प्रावधान जिसमें से 2603.5 करोड़ मा० शिक्षा के विकास पर व्यय किये। +2 पर व्यवसायीकरण हेतु प्रान्तीय सरकारों को आर्थिक सहायता।

10- दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) विभिन्न योजनाओं के लिये 42850 करोड़ रुपये जिसमें से 4325 करोड़ रु मा० शिक्षा प्रसार व व्यावसायीकरण पर 140 सरकारी उच्च माध्यमिक शिक्षा को Computer से जोड़ने की योजना तथा मदरसा शिक्षा के आधुनिकरण का लक्ष्य।

11- ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में शिक्षा के लिये 2,69,873 करोड़ में से 53550 करोड़ रु मा० शिक्षा विस्तार पर। लड़कीयों के लिये व अनुसूचित जन जाति व अनुसूचित जाति के लिये मा० शिक्षा सुलभ कराना। प्रत्येक ब्लाक में कम से कम एक आदर्श माध्यमिक विद्यालय (Model School) खोलना।

12- बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में शिक्षा के लिये 453718 करोड़ में से 6047 रु मा० शिक्षा के विकास पर। मा० शिक्षा (9 & 10) को सुलभ बनाना उच्च माध्यमिक शिक्षा (+2) पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उचित व्यवस्था इसके लिये (RMSA) राष्ट्रीय मा० शिक्षा अभियान जारी है।

1- 9 एवं 10 वी में लड़कियों के लिये गृहविज्ञान अनिवार्य [Home Sci.] compulsory

2- कुछ ने गणित के स्थान पर गृह विज्ञान लेने को कहा।

3- कुछ का मत है गृहविज्ञान सभी के लिये अनिवार्य। इसे 10 वर्ष आयु तक की (शिक्षा में) राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या मे स्थान दिया जाये।

4- (+2) शिक्षा स्तर पाठ्य-चर्या का विविधीकरण -
(a) अनिवार्य (compulsary — (b) ऐच्छिक - optional
गृह विज्ञान (H-Sci) को भी optional रखा जाये।

अत: मा० शिक्षा पर लडके व लड़कियों की पाठ्य-चर्या समान होनी चाहिये।

* शिक्षा का व्यावसायीकरण [Vocationalization of Education]

व्यावसायीकरण :- शिक्षा को व्यवसायपरक बनाना व्यावसायीकरण कहलाता है।

वर्तमान में व्यावसायीकरण : वर्तमान मे व्यावसायीकरण से तात्पर्य उच्च मा (+2) स्तर पर सामान्य छात्रों के लिये सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने से है।

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए किए जा रहे कार्य [Steps being taken for the Vocational of Secondry Edu]

1- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में उच्च माध्यमिक (+2) स्तर पर 1995 तक 25% छात्र छात्राओं इस धारा में लाने का लक्ष्य।

2- 1888 मे केन्द्रिय सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत (+2) पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिये राज्य सरकारो की आर्थिक सहायता देनी शुरू की।

3- इसके लिये संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद (Joint Council of - Vocational Edu, JCVE का गठन व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी नीति निश्चित एवं दिशा निर्देशन के लिए। [28]

4- माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी।
5- उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में +2 पर सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये गये। परन्तु अधिक सफल नहीं हो पाये।

शिक्षा के व्यावसायीकरण में बाधाएं
[Barriers in Vocationalization of Education]

1- मानसिक कार्य प्रधान उच्च शिक्षा पर रुझान (शारीरिक श्रम प्रधान व्यावसायिक शिक्षा की अपेक्षा)

2- व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले विद्यालयों में आधार पाठ्यक्रमों का अधिक जोर
3- सैद्धान्तिक पक्ष पर अधिक बल होने के कारण व्यावसायिक कुशलता प्राप्त नहीं हो पाती।
4- (+2) विद्यालयों पर व्यावसायिक शिक्षा के लिये प्रयोग के लिये प्रयोगशाला, कार्यशाला एवं अन्य सामाग्री की उचित व्यवस्था नहीं।
5- योग्य, दक्ष एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी।
6- व्यावसायिक शिक्षा का वास्तविक रूप से व्यावसायिक केन्द्रों पर ही दी जाना।

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण प्रक्रिया को सफल बनाने उपाय
[Ways To make Vocationalization process successful of Secondry Education]

1- 9 व 10 पर सभी छात्र-छात्राओं के लिये शारीरिक श्रम प्रधान शा० कार्य अनिवार्य।
2- व्यावसायिक केन्द्रों पर कम से कम (+2) व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति।
3- आधार पाठ्यक्रमों के बोझ को कम किया जाये।
4- सैद्धान्तिक व प्रायोगिक को बराबर का महत्व दिया जाये।
5- सरकार द्वारा कार्यशाला, प्रयोगशाला व अन्य सामाग्री के लिये आर्थिक सहायता दी जाये।
6- योग्य, दक्ष व प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति के लिये व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना।
7- इस क्षेत्र से जुड़े सभी व्यक्ति ईमानदारी व कर्त्तव्य निष्ठा से कार्य करें।

=x=

UNIT-6th विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता
[Autonomy of Universities]

स्वायत्तता :- [स्वत: नियमन,]

स्वायत्तता का अर्थ :- आन्तरिक प्रशासन, एवं शैक्षिक निर्णय लेने में स्वतन्त्र, पाठ्यक्रम बनाने का अधिकार शिक्षकों की चयन एवं पदोन्नति का अधिकार।

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के गुण-दोष
[Merits and Demerits of Autonomy of Universities]

1- वुड घोषणा पत्र 1854 के आधार पर 1857 में लन्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित हुये।

2- 1902 तक भारत में निम्न कोटि स्तर के 5 विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे।

3- विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 अधिनियम द्वारा सरकार को विश्वविद्यालय की सिनेट द्वारा पारित नियमों में संशोधन करने का अधिकार मिला। इससे भारतीय विश्वविद्यालयों का सीधा नियन्त्रण हो गया। दुष्परिणाम उच्च शिक्षा प्रसार के उन्नयन में बाधा उत्पन्न हो गयी।

5- कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने वि०विद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने की शुरूआत की तथा वि०वि० को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त किया गया।

6- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 वि.विद्यालयों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गयी जिसके परिणाम उल्टे हुये प्रसार को गति मिलते हुये इसके स्तर मे गिरावट आ गयी।

7- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मे उच्च शिक्षा स्तर उठाने पर बल दिया गया जिससे वि०वि० पर (UGC) का अंकुश बढ़ा।

8- वि०वि को UGC द्वारा तैयार पाठ्यक्रम लागू करने पड रहे; यदि इस स्तर पर कोई भूल होती है तो उससे सभी प्रभावित होते है। [29]

विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियन्त्रण और स्वायत्तता में सन्तुलन
[Balance B/w Govt Control and Autonomy of Universities]

1- वि॰ विद्यालयों को कोई भी निर्णय राष्ट्र के हितों को सामने रखकर करना चाहिये।

2- आन्तरिक प्रशासन में स्वायत्तता होनी चाहिये, परन्तु गड़बड़ी होने पर सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिये।

3- शैक्षिक निर्णय लेने में स्वायत्तता होनी चाहिये परन्तु उच्च शिक्षा का स्तर-मान बनाये रखने का उत्तरदायित्व UGC का होना चाहिये।

4- सरकार की ओर से जाति के आधार पर जो आरक्षण किया गया है वह वर्तमान परिस्थितियों में युक्ति संगत नहीं है।

5- महाविद्यालयों में शिक्षकों के चयन का अधिकार महाविद्यालयों व विवि॰ को होना चाहिये। उच्च शिक्षा आयोग को नहीं।

6- UGC के साथ विवि॰ को छात्रों के प्रवेश, मेधावी एवं परिश्रमी छात्रों के चयन के नियम बनाने में स्वायत्तता प्राप्त हो।

7- ऐकेडमिक निर्णय Academic Bodies करें और प्रशासनिक निर्णय Administrative तन्त्र करे।

8- स्वीकृत अनुदान का सही प्रयोग करने के लिये UGC को विशेष अधिकार मिलने चाहिये।

उपसंहार [Conclusion] :-

किसी भी विवि॰ में किसी स्तर पर इसके प्रतिकूल निर्णय लेने और कार्य करने की दशा में सरकार को उसमे हस्तक्षेप करने का अधिकार हो। परन्तु यह कार्य दोनो पक्षों की योग्यता पर निर्भर करता है।

अतः दोनों को ही अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय अपने कर्तव्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

शिक्षा का निजीकरण
[Privatization of Education]

शिक्षा का निजीकरण :-

SULANDSHAHR TECHNOLOGY

उच्च शिक्षा के निजीकरण की समस्या [मूल्यांकन]
[Problem of Privatisation of Higher Education]

प्रथम मत :-

1- स्वावित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिये मानदण्ड सरकारी संस्थाऐं बनाती है तो उन्हें मान्यता भी सरकारी संस्थाऐं ही देती हैं।

2- इन संस्थाओं के पाठ्यक्रम भी सरकारी संस्थाऐं बनाती हैं।

3- छात्र-छात्राओं की परीक्षाएँ भी सरकारी संस्थाऐं लेती हैं व उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रमाण-पत्र भी वही देती हैं।

दूसरा मतानुसार :-

1- वे निजी संस्थाओं के नियन्त्रण में हैं।
2- वे अपनी संस्थाओं में 50% छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं।
3- स्ववित्तपोषित संस्थाओं पर निजी संस्थाओं का आधिपत्य है।
4- वे उनसे मनमाना शुल्क (वार्षिक) लेने के लिये स्वतन्त्र हैं।
5- शिक्षकों की नियुक्ति करने व उनको निकालने के लिये स्वतन्त्र।
6- संस्थाओं से निकलने वाले उत्पाद की Market value कम है।

समस्या के कारण :-

1- स्वावित्तपोषित संस्थाओं की स्थापना व संचालन दोनों का अति व्यय-साध्य होना।
2- ईमानदारी व कर्त्तव्य निष्ठा का अभाव होना।
3- स्वा० शि० संस्थाओं को स्थापित करने वाली संस्थाओं के सदस्यों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना।

स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थाओं में सुधार के उपाय
[Means of Improvement in Selfinanced Higher Edu Institution]

1- इनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था राज्य को स्वयं करनी चाहिये। शेष छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा की व्यवस्था निजी संस्थाओं पर छोड़ी जा सकती है।

2- मान्यता देते समय - एक क्षेत्र विशेष में उसकी माँग तथा दूसरा क्षेत्र विशेष एवं राष्ट्र में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की माँग का ध्यान रखें।

3- मान्यता देने में किसी भी प्रकार की सिफारिश व भेंट पूजा को बन्द किया जाए।

4- केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकार द्वारा भारी शुल्क, केपीटेशन संस्थाओं द्वारा लिये जाने पर नियन्त्रण रखा जाए।

5- सरकार स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत मेधावी एवं निर्धन छात्र-छात्राओं के लिये भी छात्रवृत्ति व्यवस्था की जाए।

* शिक्षा का व्यावसायीकरण
[Commercialization of Education]

व्यावसायीकरण

- Vocationalization of Edu
  - तात्पर्य :- व्यावसायिक पाठ्यक्रम द्वारा, रोजगार के लायक बनाना।
  - [सरकार द्वारा]
- Commercialization of Edu.
  - तात्पर्य :- व्यवस्था करके उससे धनोपार्जन करने से होता है।
  - [निजी संस्थाओं द्वारा]

"भारत में शिक्षा के व्यावसायीकरण से तात्पर्य उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण से है।"

"उच्च शिक्षा व्यावसायीकरण के कारण"
[Causes of Commercialization of Higher Educ"

1- उच्च शिक्षा का निजीकरण [Privatization of Higher Education]

2- कैपीटेशन फीस की अनुमति [Permission of Capitation fee]
3- उदारीकरण की नीति [
4- बहुनियन्त्रक तन्त्र [
5- वैश्वीकरण के नाम पर विदेशी वि० विद्यालयों का प्रवेश [
6- बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार [

विश्वविद्यालयी शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के उपाय
[Measures to Check Commercialization of University Edu]

1- स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षण संस्थाऐं सीधे सम्बद्धता प्रदान करने वाले वि०वि० के नियन्त्रण में

2- मान्यता का शर्तों का कड़ाई से पालन
3- कैपीटेशन फीस पर रोक
4- निर्धारित वार्षिक शुल्क का अनुपालन
5- फर्जी विदेशी वि.वि. पर पाबन्दी
6- भ्रष्टाचार पर अकुंश

अत: सरकार को उच्च शिक्षा की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए जिससे उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके।

* भारत में हाशिये के वर्गों की शिक्षा
[Education of Marginalization Groups in India]

हाशिये वर्ग :- सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि से निम्न स्तर के वर्गों को हाशिये वर्ग में रखा गया।
Economic, Sociological & Cultured weak level Category
क्योंकि ये उच्च, सामाजिक स्तर, उच्च संस्कृति व सामान्य आर्थिक स्थिति से वंचित

इसलिये वर्ग में निम्न वर्गों को शिक्षा दी जाती है।

1- अनुसूचित एवं अनुसूचित जन जाति की। [SC/ST]
2- पिछड़े वर्ग व पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की [Backward / Back region's Children]
3- बालिकाओं की शिक्षा [Girls education]
4- मन्द बुद्धि व विकलांगों की शिक्षा [Weak & Handicaps]
5- अल्पसंख्यकों के बच्चो की शिक्षा [Muslim's Children]

* अनुसूचित जाति व जनजातियों के बच्चों की शिक्षा - "प्रयास"

1- इन विद्यालयों में इन्हीं वर्गों तथा इन्हीं वर्गों के क्षेत्रों के शिक्षक नियुक्त
2- छात्रावासों की व्यवस्था।
3- [SSA] के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें वस्त्र व Midday Meal निशुल्क प्रदान
4- आगंनवाड़ी व नए प्रकार की शिक्षा के केन्द्र खोलने को प्राथमिकता

घोषणाऐं :- [राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा]

1- आदिवासी क्षेत्रों में SC/ST बच्चो के लिए विद्यालय स्थापना की जाएगी।
2- आर्थिक सहायता की धनराशी बढ़ायी जायेगी।
3- उनकी स्वयं की भाषा व क्षेत्रीय भाषा सिखाई जाएगी।

* पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा

घोषणाऐं :- [राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा]

1- पिछड़े वर्ग व पिछड़े क्षेत्रों के बच्चो की शिक्षा पर ध्यान
2- रेगिस्तानी, पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों मे अधिक स्कूल खोले जायेंगे।
3- ऐसे बच्चों की आर्थिक सहायता व छात्रवृत्तियाँ जारी रहेंगी।
4- इन्ही क्षेत्रों के शिक्षित युवकों की शिक्षक पद पर नियुक्ति।

प्रयास :-

1- [SSA] के अन्तर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने को II प्राथमिकता
2- 15-20 बच्चे होने पर ही एक नये प्रकार का स्कूल खोल दिया जाता है।
3- माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर पर आर्थिक सहायता दी जाये।
4- कुछ विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था भी गई है।

बालिकाओं की शिक्षा :-

घोषणाऐं :— [राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा]

1- स्त्री-पुरूषों की शिक्षा में कोई भेद भाव नहीं किया जाएगा।
2- विज्ञान व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
3- शिक्षा के विकास हेतु विशेष प्रयत्न किये जाऐगें।

प्रयास :

1. 1989 में Mahila Samakhya Programme द्वारा पिछड़े वर्ग बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था की जा रही है।
2- नवोदय वि० में 30% महिला स्थान आरक्षित किये गए हैं।
3- आर्थिक सहायता दी जा रही है।
4- बालिकाओ के लिये कुछ विशेष छात्रवृतियों की व्यवस्था।
5- इनकी शिक्षा के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, DPEP चलाया जा रहा है।

* मन्दबुद्धि व शारीरिक विकलांग बालकों की शिक्षा :-

घोषणाऐं :— [राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा]

1- विकलांग बच्चों की कुटीर उद्योग की शिक्षा दी जाएगी।
2- गूंगे, बहरे, अन्धे व मन्द बुद्धि बालकों के लिये अलग से स्कूल खोले जायेंगे
3- विकलांग व मन्दबुद्धि बालको की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षको की नियुक्ति।

प्रयास :—

1- गूंगे, बहरे, अन्धे व मन्द बुद्धि बालकों के लिये आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं।
2- सामान्य विकलांग बच्चो की शिक्षा, सा. वि० में ही की जा रही है।
3- विकलांग बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु 6 के स्थान पर 9 वर्ष कर दी गई है।
4- अधिकतर प्रान्तों में समावेशी शिक्षा [Inclusive Education] की शुरूआत की गई है इसमें सामान्य व विकलांग बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा :-

घोषणाऐं [राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986] द्वारा

1- इन्हें अपनी शिक्षण संस्थाऐं चलाने का अधिकार होगा। परन्तु पाठ्यक्रम प्रान्तीय सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है।

2- अल्पसंख्यक क्षेत्र में प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल खोलने को प्राथमिकता दी जायेगी।

प्रयास :-

1. पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिये क्षेत्रीय सघन कार्यक्रम (Area Intensive Programme for Educationally backward Minorities) चलाया जा रहा है।

2- मदरसा शिक्षा के आधुनीकरण हेतु वित्तीय सहायता (financial Assistance for Modernization of Madrsa Education) दी जा रही है।

3- विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जा रही है।

4- कुछ जातियों को पिछड़ी जाति में स्थान देकर उनको आरक्षण व सुविधाऐं दी जा रही हैं।

5- अ० बालिकाओं के लिये आवासीय माध्यमिक स्कूल खोले जा रहे हैं।

* स्कूली शिक्षा का माध्यम एवं त्रिभाषा सूत्र [Medium of Schooling and Three language formula]

भारत में भाषा की :- राष्ट्र भाषा, संघीय भाषा, शिक्षा माध्यम क्या होनी चाहिये।

* राष्ट्र भाषा की समस्या :-

1. भारत के अधिक भू-भाग में हिन्दी का प्रयोग
2. भारत की अधिकतर भाषाओं में समानता। कहा जाता है अन्य सभी भाषाऐं संस्कृत भाषा की वंशज है।
3. हिन्दी देश के राजनैतिक केन्द्र दिल्ली की भाषा है।
4. देश के अधिकतर धार्मिक क्षेत्रों की भाषा है।
5. अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों की भाषा है।

सन 1949 को केन्द्रिय सरकार हिन्दी को राष्ट्र भाषा घोषित कर दिया परन्तु दुर्भाग्य वश यह "सम्पर्क भाषा" अभी तक नहीं बन पायी है।

संघीय भाषा की समस्या :-

1- संघीय भाषा देश की अंग्रेजी थी पूरा राजकीय संवाद केवल अंग्रेजी माध्यम से ही होता।
2- हिन्दी भाषा का प्रयोग पूरे देश में न होना।
3- हिन्दी का शब्दकोश भी सीमित था, इसमें शासकीय शब्दावली का निर्माण नहीं किया गया था।

जब तक देशवासियों को हिन्दी का ज्ञान नहीं करा दिया जाता तब तक संघीय भाषा अंग्रेजी ही रहेगी।

शिक्षा के माध्यम की समस्या :-

1- उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएँ होनी चाहिये। इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
2- विज्ञान व व्यावसायिक एवं तकनीकी वर्गों के विषयों की शिक्षा अभी तक अंग्रेजी के माध्यम से दी जाए।
3- अन्तर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों को स्वीकार किया जाए।

कोठारी आयोग के सुझाव :-

1- Graduation (स्नातक) क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से।
2- Post Grad (स्नातकोत्तर) अंग्रेजी माध्यम हो सकती है
3- क्षेत्रीय व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1979 की घोषणाएं :-

1- प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषाएँ होंगी।
2- मा० शिक्षा " " क्षेत्रीय " "
3- उच्च शिक्षा स्तर पर विज्ञान व तकनीकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी बनी रहेगी।

आज क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की माँग करने वाले भी अंग्रेज़ी माध्यम की वकालत करने लगे हैं।

त्रिभाषा सूत्र [Three Formula language]

राधाकृष्णन् आयोग (1948-49) के सुझाव :-

1- मा० स्तर पर तीन भाषाओं का अध्ययन — प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा व संघीय भाषा हिन्दी और अन्तर्राष्ट्रीय भाषा एवं सहसंघीय भाषा अंग्रेज़ी।

2- सरकार को क्षेत्रीय भाषा व राष्ट्र भाषा हिन्दी का समुचित विकास के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये।

इन सुझावों में यह कमी थी कि हिन्दी भाषी बच्चों को केवल दो भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना था और अहिन्दी भाषी बच्चों को तीन भाषाओं का। अहिंदी भाषी लोगों का यह भी भय था कि यदि केवल हिन्दी ही संघीय भाषा बन गई तो फिर संघीय सेवाओं में उनका आना बहुत कठिन हो जायेगा।

मुदालियर आयोग 1952 द्वारा भाषा सम्बन्धी समस्या के सुझाव।

1- उच्च प्रा० स्तर (कक्षा 6 से 8) पर राष्ट्रभाषा हिन्दी को अनिवार्य रूप से पढाया जाए।

2- " (कक्षा 6 से 8 तक) पर दो भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य हो -

1- अहिन्दी राज्यों में प्रादेशिक भाषा और राष्ट्र भाषा हिन्दी।

2- हिन्दी " " " " " " अन्य कोई भारतीय भाषा।

3- मा० स्तर (कक्षा 9 से 10 तक अथवा 11 तक) पर भी दो भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य

1- अहिन्दी राज्यों में प्रादेशिक भाषा और हिन्दी अथवा कोई अन्य भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी अथवा कोई अन्य यूरोपीय भाषा।

2- हिन्दी राज्यों में प्रादेशिक भाषा हिन्दी और अन्य कोई भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी अथवा अन्य कोई यूरोपीय भाषा।

परन्तु इसके बाद भी भाषाओं के अध्ययन की वही स्थिति बनी रही जो अंग्रेजी काल के अंतिम समय में थी।

इस समस्या के समाधान हेतु CABE ने **त्रिभाषा सूत्र** प्रस्तुत किया गया व 1961 में अन्तिम रूप प्रदान किया गया।

<u>त्रिभाषा सूत्र इस प्रकार था</u> -

1- मा० स्तर पर (6 से 10-11) पर सभी छात्र-छात्राओं की तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा।

1 - मातृ भाषा प्रादेशिक भाषा

2 - राष्ट्रभाषा हिन्दी (अहिन्दी क्षेत्रों में): कोई अन्य स्वीकृत भारतीय भाषा (हिन्दी क्षेत्रों में)

3 - अंग्रेजी अथवा कोई अन्य यूरोपीय भाषा।

<u>त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य</u>:-

1- प्रान्तीय भाषाओं का विकास करना।

BULANDSHAHR MANAGEMENT & TECHNOLOGY

२- राष्ट्र भाषा हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाना और संघीय भाषा बनाना।
४- राष्ट्रीय एकता एवं अन्तर्राज्यीय संवाद।

कोठारी आयोग द्वारा संशोधित त्रिभाषा सूत्र।

1- प्रा० स्तर पर केवल प्रादेशिक भाषा अध्ययन अनिवार्य।
2- उच्च प्रा० व निम्न प्राथमिक स्तर २ भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य।
(a) प्रादेशिक भाषा -- (b) हिन्दी अथवा अंग्रेजी।
3- मा० स्तर पर तीन भाषाओं का अध्ययन
(a) प्रादेशिक भाषा -- (b) हिन्दी व अंग्रेजी -- (c) कोई आधुनिक भारतीय भाषा अथवा कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा जो (a) और (b) में न ली गयी हो।

NCERT ने इस आधार पर प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या भी तैयार कर दी। परन्तु अफसोस किसी भी प्रान्तीय सरकार ने इस त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन भी नहीं किया। इस समस्या का समाधान आज तक भी नहीं हो पाया है।

* जनसंख्या शिक्षा [Population Education]

जनसंख्या शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा, बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों को जनसंख्या वृद्धि के कारणों और उसके दुष्परिणामों से परिचित करा-कर उनमें जनसंख्या नियन्त्रण और साथ में उत्पादन में वृद्धि एवं प्राकृतिक सम्पदा के सीमित प्रयोग के प्रति अभिवृत्ति का विकास किया जाता है और उन्हें जनसंख्या नियन्त्रण के लिये तैयार किया जाता है।

जनसंख्या शिक्षा और परिवार नियोजन:- कुछ व्यक्ति इसे यौन शिक्षा समझने की भूल करते हैं, परन्तु यह यौन शिक्षा द्वारा किशोरों को इस शक्ति के दुरुपयोग से होने वाली हानियों का ज्ञान कराया जाता है।

जनसंख्या शिक्षा व परिवार नियोजन:- जनसंख्या शिक्षा द्वारा बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों को जनसंख्या वृद्धि के कारणों एवं दुष्परिणामों का ज्ञान कराया जाता है। परिवार नियोजन परिवार को सीमित करने का कार्यक्रम है।

* जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य –

1- बच्चों, युवकों, प्रौढ़ों को बढ़ती जनसंख्या का ज्ञान कराना।
2- जनसंख्या वृद्धि का ज्ञान कराना।
3- जनसंख्या वृद्धि के कारणों का ज्ञान कराना।
4- जनसंख्या नियन्त्रण की अभिवृत्ति का विकास करना।
5- जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की ओर प्रवृत्त करना।

* जनसंख्या शिक्षा का पाठ्यक्रम := पाठ्यक्रम में निम्न बातों का समावेश होना।

1- जनसंख्या वृद्धि के कारण –
2- छोटे परिवार का महत्व -
3- जनसंख्या वृद्धि व शिक्षा-
4- जनसंख्या वृद्धि से लाभ-हानि-
5. जनसंख्या शिक्षा की आवश्यता व उद्देश्य।
6. परिवार नियोजन
7. जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक व आर्थिक विकास पर प्रभाव।

* जनसंख्या वृद्धि के कारण :=

1- जन्मदर व मृत्युदर में अन्तर-
2- आवास, भोजन की उचित व्यवस्था-
3- भाषाई एवं क्षेत्रीय मतभेद
4- रोगों की रोकथाम के कारण मृत्यु दर में कमी
5- सामाजिक एवं राजनीतिक विरोध
6- माता पिता की व्यक्तिगत जीवन शैली।

* जनसंख्या शिक्षा की शिक्षण विधियाँ :=

1- बुनियादी मान्यताओं का विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण।
2- वाद विवाद तथा पाठ्य-सहगामी क्रियाएं।
3- भूमिका निर्वाह खेल [Role playing] व नाटक।
4- समस्या विधि तथा स्वयं शिक्षा विधि।
5- रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, रिकार्ड आदि का उपयोग।

* जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने सम्बधी सुझाव :=

1- स्कूल, कालेजों में यह शिक्षा विज्ञान, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य शिक्षा, गणित आदि विषयों के माध्यम से दी जाये।
2- इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन दिया जाये।
3- ज०शिक्षा से सम्बन्धित पुस्तके, पाठ्य सामग्री, अध्यापक निर्देशिका का निर्माण
4- वि०वि० जन-सांख्यिकी पाठ्यक्रम लागू करे तथा इस विषय पर भाषमाला आयोजन
' सन् 1966 में स्वास्थ्य मंत्रालय समिति ने चार्ट बनाने पर, मानचित्र, भाषण आयोजन पर बल दिया।

[stamp] ...MENT & TECHNOLOGY ...